

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2024—चैत्र 30, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

क्र. ई-1-249-2022-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 2022 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2014 के भाप्रसे अधिकारियों को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1 जनवरी, 2023 से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 3 के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Junior Administrative Grade) रुपये 78800-209200 (पे मेट्रिक्स 12) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया गया है कि वर्ष 2023 में आगामी मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे.

2. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F. No. 14015-13-2021-AIS(I)-B, दिनांक 17 जनवरी 2022 द्वारा राप्रसे से भाप्रसे में पदोन्नति द्वारा नियुक्त 17 अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक F. No. 14014-03-2022-AIS-I, दिनांक 25 जनवरी 2022 द्वारा आवंटन वर्ष एवं वरिष्ठता निर्धारित की गई है.

3. भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना एवं आदेश के संदर्भ में भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक F. No. 14014-09-2023-AIS-I, दिनांक 6 जून 2023 द्वारा राप्रसे से भाप्रसे में पदोन्नति द्वारा नियुक्त निम्नलिखित 4 अधिकारियों के आवंटन वर्ष एवं वरिष्ठता पुनरीक्षित की गई है :—

2313

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	DOPT द्वारा पूर्व में आवंटित आवंटन वर्ष (आदेश दिनांक 25-1-2022)	DOPT द्वारा आवंटित पुनरीक्षित आवंटन वर्ष (आदेश दिनांक 6-6-2023)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री नियाज अहमद खान, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.	2015	2014
2.	श्रीमती नीतू माथुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, ग्वालियर.	2016	2014
3.	श्रीमती अंजू पवन भदौरिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन.	2016	2014
4.	श्रीमती जमुना भिड़े अपर आयुक्त (राजस्व), इन्दौर संभाग, इन्दौर.	2016	2014

4. राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त उपरोक्त 4 अधिकारियों के पुनरीक्षित आवंटन वर्ष अनुसार 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1 जनवरी, 2023 से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 3 के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Junior Administrative Grade) रुपये 78800-209200 (पे मैट्रिक्स 12) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वर्ष 2023 में आगामी मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2023

क्र. ई-1-225-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/-निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स 17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मण्डल

क्र. ई-1-266-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री तरूण राठी (2010), कलेक्टर, जिला गुना.	अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन.

2. श्री राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार) तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

3. श्री राजेश कुमार राजौरा द्वारा अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग का प्रभार ग्रहण करने पर श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे (1997), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

4. श्री प्रथम कौशिक, भाप्रसे, (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला गुना को प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2024

क्र. ई-1-35-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री विनोद कुमार (1989), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, साप्रवि (मा.अ.प्र.) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ तथा अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.	—
2.	श्री अनिरुद्ध मुकर्जी (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
3.	श्री मनीष रस्तोगी (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, साप्रवि (मा. अ. प्र.) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ एवं प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	डॉ. नवनीत मोहन कोठारी (2001) प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग.	—
5.	श्री रविन्द्र सिंह (2004), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (DMI), भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
6.	श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव (2007), आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (DMI), भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
7.	श्री भरत यादव (2008), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	सचिव, मुख्यमंत्री तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
8.	श्री अविनाश लवानिया (2009), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल.	अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
9.	श्री तरुण कुमार पिथोडे (2009), संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	वि.क.अ.-सह-आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल	अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन
10.	श्री अभिजीत अग्रवाल (2010), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार).	वि.क.अ.-सह-आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे (2010), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल.	अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
12.	श्री चन्द्रमौली शुक्ला (2011), आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल तथा आयुक्त, विमानन तथा संचालक, विमानन तथा कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	प्रबंध संचालक, एम. पी. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल तथा आयुक्त, विमानन (अतिरिक्त प्रभार).	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
13.	श्री गौतम सिंह (2011), अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.	परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
14.	श्रीमती अदिति गर्ग (2015), संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल.	उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
15.	श्री अंशुल गुप्ता (2016), पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत.	उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार).	—

(2) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992), अपर मुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्री गौतम सिंह द्वारा परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा संचालक, रोजगार तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल तथा संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) केवल परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2024

क्र. ई-1-42-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री ऋषि गर्ग (2013), कलेक्टर, जिला हरदा.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(2) श्री रोहित सिसोनिया, भाप्रसे (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2024

क्र. ई-1-240-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के प्रमुख सचिव वेतनमान रुपये 1,82,200—2,24,100/- (पे-मेट्रिक्स-15) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री शोभित जैन, सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग, भोपाल.	सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग, भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2.	श्री विवेक कुमार पोरवाल, प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार).	वि.क.अ.-सह-प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
3.	श्री संदीप यादव, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार).	—

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्रीमती सोनाली पोंक्षे बायंगणकर, आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल.	वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2024

क्र. ई-1-54-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती विदिशा मुखर्जी, (2015), मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल.	अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2.	श्री जी. एस. धुर्वे (2018), अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर.	अपर कलेक्टर, जिला बालाघाट.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

क्र. ई-1-58-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री भास्कर लक्षकार (2010), कलेक्टर, जिला रतलाम.	प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
2.	श्री उमाशंकर भार्गव (2011), कलेक्टर, जिला विदिशा.	राज्यपाल के अपर सचिव, राजभवन, भोपाल.	—
3.	श्री स्वरोचिष सोमवंशी (2012), राज्यपाल के उपसचिव, राजभवन, भोपाल.	कलेक्टर, जिला सीधी	—
4.	श्री धरणेन्द्र कुमार जैन (2012), उपसचिव, "कार्मिक", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	कलेक्टर, जिला उमरिया	—

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	श्री राजेश बाथम (2012), अपर आयुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग, उज्जैन.	कलेक्टर, जिला रतलाम	—
6.	श्री मयंक अग्रवाल (2013), कलेक्टर, जिला दमोह.	वि.क.अ.-सह-नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा वि.क.अ.-सह- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
7.	श्री साकेत मालवीय (2014), कलेक्टर, जिला सीधी.	संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.	—
8.	श्रीमती नेहा मीना (2014), अपर कलेक्टर, जिला नीमच.	कलेक्टर, जिला झाबुआ	—
9.	श्रीमती तन्वी हुड्डा (2014), कलेक्टर, जिला झाबुआ.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
10.	श्री बुद्धेश कुमार वैद्य (2014), कलेक्टर, जिला उमरिया.	कलेक्टर, जिला विदिशा	—
11.	श्री सुधीर कुमार कोचर (2014), उपसचिव, मुख्यमंत्री.	कलेक्टर, जिला दमोह	—
12.	श्री मनोज कुमार सरियाम (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड.	अपर आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(2) उपरोक्तानुसार श्री मयंक अग्रवाल द्वारा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, भाप्रसे (2006), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग केवल नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) उपरोक्तानुसार श्री भास्कर लक्षकार द्वारा प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रीमन् शुक्ला, भाप्रसे (2007), प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) उपरोक्तानुसार श्रीमती तन्वी हुड्डा द्वारा प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, भाप्रसे (2007), आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) उपरोक्तानुसार श्री साकेत मालवीय द्वारा संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सतीश कुमार एस्., भाप्रसे (2013), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2024

क्र. ई-1-60-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री संजीव कुमार झा, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग.	वि.क.अ.-सह-कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
2.	डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, भाप्रसे (2006), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग.	कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर	—
3.	श्री माल सिंह भयडिया, भाप्रसे (2006), कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर तथा आयुक्त (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
4.	श्री दीपक सिंह, भाप्रसे (2007), कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर तथा कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना (अतिरिक्त प्रभार).	कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर तथा आयुक्त (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार).	—
5.	श्री अक्षय कुमार सिंह, भाप्रसे (2010), कलेक्टर, जिला ग्वालियर.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
6.	श्रीमती रूचिका चौहान, भाप्रसे (2011), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	कलेक्टर, जिला ग्वालियर.	—

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024

क्र. ई-1-61-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री संजय कुमार शुक्ला (1994), राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री मुकेश चन्द गुप्ता (1998), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.	राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल	—
3.	श्री विवेक कुमार पोरवाल (2000), वि.क.अ.-सह-प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
4.	डॉ. नवनीत मोहन कोठारी (2001), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—
5.	श्री पी. नरहरि (2001), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	—
6.	श्री धनंजय सिंह भदौरिया (2006), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल.	—
7.	श्री बाबू सिंह जामोद (2006), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल.	कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल.	—
8.	श्री माल सिंह भयड़िया (2006), सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
9.	श्री श्रीमन शुक्ल (2007), प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल.	—
10.	श्रीमती शिल्पा गुप्ता (2008), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	श्रीमती वंदना वैद्य (2009), कलेक्टर, जिला शहडोल.	अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (MAPSET) (अतिरिक्त प्रभार).	—
12.	श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव (2009), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	वि.क.अ.-सह-प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार).	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
13.	श्री शशिभूषण सिंह (2009), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग.	संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
14.	श्री सतेन्द्र सिंह (2009), अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (MAPSET) (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला गुना.	—
15.	श्री छोटे सिंह (2010), अपर आयुक्त (राजस्व), रीवा संभाग, रीवा.	सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.	—
16.	श्री अक्षय कुमार सिंह (2010), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	श्री सुरेश कुमार (2010), सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.	कलेक्टर, जिला पन्ना.	—
18.	श्री हरजिंदर सिंह (2011), कलेक्टर, जिला पन्ना.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग.	—
19.	श्री संजय कुमार (2011), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.	—
20.	श्री मनोज पुष्प (2011), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग.	संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल. (अतिरिक्त प्रभार).	—
21.	श्री रोहित सिंह (2012), प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश तथा संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, मध्यप्रदेश, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	—
22.	श्रीमती हर्षिका सिंह (2012), आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, इंदौर (अतिरिक्त प्रभार).	संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश.	—
23.	श्री तरूण भटनागर (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.	कलेक्टर, जिला शहडोल.	—
24.	श्री अरूण कुमार परमार (2012), कलेक्टर, जिला सिंगरौली.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग.	—
25.	श्री अमनबीर सिंह बैस (2013), कलेक्टर, जिला गुना.	प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
26.	श्री फ्रेंक नोबल ए. (2013), आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन. नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	श्री शिवम वर्मा (2013), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, इंदौर (अतिरिक्त प्रभार).	—
28.	श्री चन्द्रशेखर शुक्ला (2014), आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, सागर (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला सिंगरौली.	—
29.	श्री हर्षल पंचोली (2015), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
30.	श्री हिमांशु चन्द्र (2015), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.	अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
31.	श्री हरेन्द्र नारायण (2016), अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कापोरिशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
32.	श्री जगदीश कुमार गोमे (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड.	—
33.	सुश्री अंकिता धाकरे (2017), अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग.	—
34.	डॉ. शेर सिंह मीना, (2017), अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर तथा अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार) तथा क्षेत्रीय संभागीय उप परिवहन आयुक्त, जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार).	आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी सतना (अतिरिक्त प्रभार).	—
35.	श्री अक्षय कुमार तेम्रवाल (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़.	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल.	—
36.	सुश्री काजल जावला (2019), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश, रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
37.	श्री आकाश सिंह (2019), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगौन.	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री संजय कुमार शुक्ला (1994), द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(3) उपरोक्तानुसार श्री पी. नरहरि (2001) द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) उपरोक्तानुसार श्री विवेक कुमार पोरवाल द्वारा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मयंक अग्रवाल, भाप्रसे (2013), वि.क.अ.-सह-नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल केवल वि.क.अ.-सह-आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रभार मुक्त होंगे.

(5) उपरोक्तानुसार श्री माल सिंह भयडिया (2006), द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहित बुन्दस, भाप्रसे (2011), प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम, तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(6) उपरोक्तानुसार श्री शशिभूषण सिंह (2009) द्वारा संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे (2002), पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त-सह-संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग केवल संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(7) उपरोक्तानुसार श्रीमती हर्षिका सिंह (2012), द्वारा संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा संचालक, रोजगार तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) केवल संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(8) उपरोक्तानुसार श्री अमनबीर सिंह बैस (2013), द्वारा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रघुराज एम. आर. भाप्रसे (2004), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(9) उपरोक्तानुसार श्री बाबू सिंह जामोद (2006) द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गोपाल चन्द्र डाड, भाप्रसे (2008), कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा एवं कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल (अतिरिक्त प्रभार) केवल कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(10) उपरोक्तानुसार श्री मनोज पुष्प (2011) द्वारा संचालक, पंचायत राज मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री केदार सिंह, भाप्रसे (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल संचालक, पंचायत राज मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024

क्र. ई-1-59-2024-5-एक.—मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2023 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला
(1)	(2)	(3)
1	श्री वसीम अहमद भट	धार
2	श्री शिवम यादव	शाजापुर
3	श्री गगन सिंह मीना	उज्जैन
4	सुश्री काजोल सिंह	छतरपुर
5	श्री प्रपंज आर.	रीवा
6	श्री महिपाल सिंह गुर्जर	अनूपपुर
7	श्री शुभम कुमार यादव	नरसिंहपुर
8	श्री आकिप खान	मण्डला
9	श्री पंकज वर्मा	सिवनी

(2) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद दिनांक 5 अप्रैल 2024 को अपरान्ह में कार्यमुक्त होने पर कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग करने के उपरान्त पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2023

क्र. ई-1-166-2014-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2014 द्वारा भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है :—

(i)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii)	वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी.	सदस्य
(iii)	राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में प्रधान सचिव या सचिव.	सदस्य-सचिव
(iv)	प्रधान सचिव या सचिव, वन	सदस्य
(v)	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक	सदस्य

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2022 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में राज्य शासन अब श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे (1989), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग को नामांकित करता है.

(3) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2024 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव "कार्मिक".

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024

एफ 11-164-2019-सूअप्र-एक-9-228.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री ए. के. शुक्ला, मा. मुख्य सूचना आयुक्त को सपत्नीक दिनांक 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक, भोपाल से तिरुअनंतपुरम वाया-कोच्चि हेतु कैलेण्डर वर्ष 2024 की प्रथम एल.टी.सी. एवं दिनांक 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक, पांच दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2024

क्र. एफ 1-98-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 से 16 अप्रैल 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-11 व 17 अप्रैल 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में एमस्टर्डेम, नीदरलैण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: —

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

(2) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री संजय कुमार झा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2024

क्र. आर. 1948728-2024-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री विजय कटारिया, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 6 से 29 मई 2024 तक, चौबीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 4-5 मई 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में वर्जिनिया (यूएसए) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: —

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

(2) श्री विजय कटारिया, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विजय कटारिया, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2024

क्र. एफ 1 (ए) 193-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, मानव अधिकार आयोग, भोपाल को खण्ड वर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 8 अप्रैल से 12 अप्रैल 2024 के दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 6-7, 9-11 व 13-14 अप्रैल 2024 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कन्याकुमारी (तमिलनाडु) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|-------------------------|---|-------|
| 1. श्री बी. बी. शर्मा | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती कान्ता शर्मा | — | पत्नी |

(2) अवकाश के लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नु भलावी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम

क्र. 234/A-भू-अर्जन-2024.—केन बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र के जिला छतरपुर अन्तर्गत तहसील बिजावर की ग्राम-ढौड़न, खरयानी, पलकौहां, भौरखुवां, सुकवाहा, बसुधा, घुघरी, कुपी, शाहपुरा, नैगुवां, पाठापुरा, डुगरिया, कदवारा, एवं ककरा के परिवारों हेतु निजी भूमि धारकों के भूमि अर्जन होने के कारण प्रभावित व्यक्तियों की निजी भूमि "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के तहत अर्जित की जा रही भूमियों के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु न्यायालय जिला छतरपुर के राजस्व प्र क्र. 0056-बी-121-2023-24 में धारा 45(2) के तहत गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति की समीक्षा के उपरान्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम अधिनियम, 2013 की धारा 17(2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत आयुक्त सागर संभाग सागर के अनुमोदन दिनांक 22 सितम्बर 2023 के उपरान्त धारा 18 के तहत इस अधिसूचना का प्रकाशन किया जाना है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 के अन्तर्गत केन-बेतवा लिंक परियोजना जिला छतरपुर की तहसील बिजावर के ग्राम-ढौड़न, खरयानी, पलकौहां, भौरखुवां, सुकवाहा, बसुधा, घुघरी, कुपी, शाहपुरा, नैगुवां, पाठापुरा, डुगरिया, कदवारा, एवं ककरा की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 11 फरवरी 2022 में किया गया. परियोजना से प्रभावित ग्रामों के परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु स्कीम का सार निम्नानुसार है :—

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें / सुविधायें दी जावेगी :—

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा.

2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती 3 वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अस्वैच्छिक से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा.
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है तो निर्मित मकान के बदले मकान से समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा.
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा.
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.
6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए.
7. किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए.
8. समुचित सरकार द्वारा यथासुनिश्चित / घोषित / निर्धारित, वार्षिकी या नियोजन विकल्प को प्रदान किया जावेगा.
9. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
10. प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए.
11. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा.
12. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा.
13. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी.
14. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा.

अधिनियम, 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें. युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-

1. सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए.
2. वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं.
3. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन.
4. पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था
5. राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
6. उचित मूल्य की दुमान की युक्तियुक्त संस्था

7. यथोचित् पंचायत घर
8. विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होना चाहिए.
9. जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर शमशान एवं कब्रिस्तान प्रसाधन बिन्दु
10. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
11. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन).
12. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी
13. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
14. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप-स्वास्थ्य केन्द्र
15. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
16. बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
17. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
18. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चबूतरा.
19. व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
20. परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिए अलग भूमि चिन्हित
21. मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र
22. प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बिजावर के ग्राम राईपुरा शासकीय भूमि खसरा नं. 39, 40, 41, 42, 73, 74 एकत्र रकबा 52.553 हेक्टेयर भूमि विस्थापित ग्राम ककरा; नैगुवां, पाठापुर, डुगरिया के प्रभावितों को न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक / 0029 / अ-65 / आबादी / 2023-24 आदेश दिनांक 8-9-2023 द्वारा, एवं ग्राम किशनगढ़ शासकीय भूमि खसरा नं. 2/1, 23/1/5/1 एकत्र रकबा 26.584 हेक्टेयर भूमि विस्थापित ग्राम सुकवाहा के प्रभावितों को न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक /0028/अ-65/आबादी/2023-24 आदेश दिनांक 8-9-2023 द्वारा एवं ग्राम भैंसखार शासकीय भूमि खसरा नं. 11/1, 11/2, 193, 194, 196 एकत्र रकबा 33.452 हेक्टेयर भूमि विस्थापित ग्राम कदवारा के प्रभावितों को, न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक/0030/अ-65/ आबादी/2023-24 आदेश दिनांक 8-9-2023 द्वारा एवं ग्राम नदगांय बट्टन में शासकीय भूमि खसरा नं. 296, 302, 306, 307, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1011 एकत्र रकबा 18.849 हेक्टेयर भूमि प्रभावित परिवारों को न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक/0031/अ-65/आबादी/ 2023-24 आदेश दिनांक 8-9- 2023 द्वारा केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित पुनर्विस्थापन एवं उपयोग की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237(2) के तहत आवंटित की गई है. केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक $12.5 \times 20 = 250$ वर्गमीटर का आवासीय भू-खण्ड निम्न भूमियों पर आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी.
23. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकान में अधिनियम, 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा.
24. अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक से पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा.

छतरपुर, दिनांक 14 मार्च 2024

प्र. क्र. 0117-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	सटई	बेडरी	63.2460	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0120-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	सटई	करोंदया	38.6649	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0118-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	सटई	दिदौनिया	10.1835	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0121-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	सटई	कावर	6.4351	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0119-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	सटई	झमटुली	47.0105	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. एफ 7-52-2003-बत्तीस-तीन.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अच्युत आनंद मिश्रा, संचालक, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6, सन् 1974) की धारा 4 की उपधारा 2(च) के अंतर्गत सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पद पर आगामी आदेश तक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय नथानियल, अवर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 24 मार्च 2024

क्र. A-2585— उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्र.सी-1526, जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, मध्यप्रदेश जिला न्यायपालिका हेतु "रंगपंचमी" के उपलक्ष्य में शनिवार, दिनांक 30 मार्च 2024 को अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में तृतीय शनिवार दिनांक 20 अप्रैल 2024 (अवकाश दिवस) को कार्य दिवस घोषित किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2024

क्र. B-994—दो-2-45-2021.— श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 23 मार्च 2024 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (डी.ई) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-997—दो-2-45-2021.— श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 17 मार्च 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2023 से वर्ष 2027 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3—(ए)19—03—इक्कीस—ब (एक) 2011, दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1—ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्र. 3666—2—ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-999—दो-3-420—1980. भाग सोलह.— श्री रविशंकर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2024 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 232 दिवस (दो सौ बत्तीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ 6—1—2018—नियम—चार, दिनांक 8 मार्च 2019 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू.एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

गणना—पत्रक

- श्री रविशंकर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का नियुक्ति दिनांक : 2 अप्रैल 1992
- सेवानिवृत्ति दिनांक : 31 मार्च 2024
- नियुक्ति दिनांक से दिनांक : निरंक
9—3—1987 तक कुल सेवा अवधि.
- दिनांक 2—4—1992 से सेवानिवृत्ति दिनांक : 31 वर्ष 11 माह
तक कुल सेवा अवधि. 29 दिन
- कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण : निरंक
अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
- कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण : 31=15x15
अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन =225 दिन
की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की 1x7=7 दिन
दर से तथा सरल क्रमांक 4 के स्तंभ 3
में 6 माह से अधिक होने पर 7 दिन
गणना में लिये जायेंगे).
- कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता : 232 दिन
- घटाईये :- सेवा के दौरान लिया गया : 00 दिन
अवकाश समर्पण का लाभ.
- सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण : 232 दिन
की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2024 को शेष अर्जित अवकाश 267 दिन).

जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2024

क्र. B-933-दो-3-21-2021.- श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 3 से 11 जून 2024 तक, नौ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 12 से 14 जून 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जून 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-949-दो-2-28-2022.- सुश्री नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 4 से 7 मार्च 2024 तक, चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B-951-दो-2-75-2018.- श्री बी.पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 20 से 23 मार्च 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 से 26 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी.पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी.पी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-953-दो-2-32-2022.- श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर को दिनांक 18 से 23 मार्च 2024 तक, सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 से 23 मार्च 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. B-955-दो-2-61-2021.- श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को 27 से 28 मार्च 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 से 26 मार्च 2024 तक के एवं दिनांक पश्चात् में दिनांक 29 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-959-दो-2-61-2021.- श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B-961-दो-2-28-2022.- कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 29 अप्रैल से 9 मई 2024 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि कृ. नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-963-दो-2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया गया है :-

1. दिनांक 5 से 6 फरवरी 2024 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया गया है।

2. दिनांक 5 फरवरी से 20 मार्च 2023 तक, पैंतालीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-965-दो-2-56-2022.- सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 18 से 19 मार्च 2024 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुमन श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3126-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री भारत सिंह रावत, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 3487-इक्कीस-ब(एक)2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20ए के अनुसार श्री रावत को उनकी स्वैच्छिक

सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसंबर 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. अर्जित अवकाश	-	206
अर्द्धवेतन अवकाश	-	94
		योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 206 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश अर्धवेतनिक वेतन अनुज्ञेय+मंहगाई भत्ता
अवकाश के एवज = $\frac{\text{अर्धवेतनिक वेतन अनुज्ञेय+मंहगाई भत्ता}}{30} \times 94$
में नगद भुगतान 30

क्र. C-3128-दो-2-20-2021.- श्री एस.के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 21 से 22 मार्च 2024 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस.के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस.के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3130-दो-2-33-2023.- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 15 से 16 अप्रैल 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 अप्रैल 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3132-दो-2-25-2020.— श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 12 से 20 अप्रैल 2024 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 अप्रैल 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3134-दो-2-43-2020.— श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 18 से 20 मार्च 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3136-दो-2-53-2022.— श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 23 से 24 फरवरी 2024 तक दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू.एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 10 अप्रैल 2024

क्र. 1482-स्था.-2024.— श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 18 से 23 मार्च 2024 कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 से 17 मार्च 2024 एवं अंत में दिनांक 24 से 29 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्रमांक/ FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड मरहा-अ N 24° 30' 56.137" E 79° 55' 14.877" से N 24° 31' 15.682 E 79° 55' 5.105" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31' 6.565" E 79° 54' 51.110" से N 24° 31' 6.865 E 79° 55' 22.728" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- पन्ना

तहसील -अमानगंज

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -अमानगंज बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	मरहा-अ	मरहा	म.प्र. शासन वन विभाग	215	0.85	उत्तर - मुनारा क्रमांक 14 से 15 होते हुए मुनारा क्रमांक 1 तक एवं मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक। पूर्व- मुनारा क्रमांक 5 से 7 तक। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 7 से 11 तक। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 11 से 14 तक।
2				183/1	0.95	
3				183/2	1.05	
4				184	2.00	
5				186	0.32	
6				187	0.46	
7				197	0.37	
8				198	0.40	
9				188	1.40	
10				189	1.79	
11				202	0.22	
12				192	0.36	
13				195	0.32	
14				196	0.35	
15				199	0.72	
16				200	0.54	
17				203	0.47	
18				208	0.31	
19				209	0.31	
20				211	0.82	
21				214	0.56	
22				217	0.72	
23				216/1	0.19	
24				216/2	0.19	

25			216/3	0.19
26			218	0.51
27			206	0.32
28			205	0.53
29			185	0.81
30			190	0.06
31			191	1.15
32			201	4.59
33			194	0.25
34			204	0.71
35			207	0.31
36			212	0.77
37			213	6.59
38			193	0.22
39			210	0.47
40			219	9.30
41			223	1.31
			योग:-	43.760

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 43.760 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0052/अ-20(3) वर्ष 2022-2023 दिनांक 12.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0013/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर, जिला-पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील अमानगंज, जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 15 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Marha-A** N 24° 30' 56.137" E 79° 55' 14.877" to N 24° 31' 15.682 E 79° 55' 5.105" North Latitude and N 24° 31' 6.565" E 79° 54' 51.110" to N 24° 31' 6.865 E 79° 55' 22.728" East Longitude.

SCHEDULE

District- Panna

Tahsil- Amanganj

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range -Amanganj Buffer

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Marha-A	Marha	M.P. Govt. Forest Department	215	0.85	North- Through Pillar No. 14 to 15 till Pillar No. 1 and from Pillar No. 1 to 5 East - From Pillar No. 5 to 7. South - From Pillar No. 7 to 11. West - From Pillar No. 11 to 14.
2				183/1	0.95	
3				183/2	1.05	
4				184	2.00	
5				186	0.32	
6				187	0.46	
7				197	0.37	
8				198	0.40	
9				188	1.40	
10				189	1.79	
11				202	0.22	
12				192	0.36	
13				195	0.32	
14				196	0.35	
15				199	0.72	
16				200	0.54	
17				203	0.47	
18				208	0.31	
19				209	0.31	
20				211	0.82	
21				214	0.56	
22				217	0.72	
23				216/1	0.19	
24				216/2	0.19	
25				216/3	0.19	
26				218	0.51	

27				206	0.32
28				205	0.53
29				185	0.81
30				190	0.06
31				191	1.15
32				201	4.59
33				194	0.25
34				204	0.71
35				207	0.31
36				212	0.77
37				213	6.59
38				193	0.22
39				210	0.47
40				219	9.30
41				223	1.31
				Total:-	43.760

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 43.760 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department order No 0052/अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 12.12.2022 of Collector Panna and Order of Sub-Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Gunnor, District Chhatarpur, case number/0013/अ-82/2021-22 dated 27.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Gunnor, District Panna and Tehsildar Amanganj, District Panna are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड मरहा-ब N 24° 31' 12.320" E 79° 56' 5.038" से N 24° 32' 3.339 E 79° 56' 14.037" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31' 56.990" E 79° 55' 44.896" से N 24° 31' 58.342 E 79° 56' 20.701" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- पन्ना

तहसील -अमानगंज

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -अमानगंज बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	मरहा-ब	मरहा	म.प्र. शासन वन विभाग	132	0.40	उत्तर - मुनारा क्रमांक 17 से 18 एवं मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक। पूर्व- मुनारा क्रमांक 2 से 6 तक। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 6 से 7 तक। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 7 से 17 तक।
2				138	0.15	
3				21	1.01	
4				23	1.29	
5				5	0.36	
6				1	2.66	
7				2	0.81	
8				3	4.11	
9				4	3.12	
10				130	0.32	
11				139	0.24	
12				140	0.10	
13				59	0.35	
14				60	0.30	
15				61	0.51	
16				62	0.31	
17				7	0.59	
18				89	0.47	
19				103	0.17	
20				127	0.10	
21				27	0.82	
22				28	0.29	
23				51	0.17	
24				8	0.68	

25				86	0.10
26				9/1	0.10
27				120	0.12
28				17/2	0.58
29				83	0.20
30				84	0.11
31				9/2	0.15
32				9/3	0.10
33				115/2	0.10
34				17/3	0.58
35				17/1/2	0.19
36				85	0.43
37				110	0.13
38				15	0.23
39				24	0.83
40				25	0.34
41				26	0.61
42				134	0.34
43				137	0.19
44				16	0.74
45				42	0.10
46				17/1/1	0.20
47				87/1	0.10
48				87/2	0.06
49				88/2	0.06
50				115/1	0.10
51				17/1/3	0.19
52				88/1	0.10
53				109	0.16
54				125	0.25
55				18	0.70
56				39	0.30
57				41	0.33
58				44	0.12
59				106	0.18
60				107	0.05
61				20	0.36
62				29	0.52
63				32	0.45
64				37	2.00
65				40	0.54
66				66	0.12
67				69	0.56
68				92	0.18
69				108	0.33

70			114	0.21
71			116	0.09
72			30	0.62
73			31	1.58
74			48	0.26
75			49	0.16
76			50	0.60
77			80	0.11
78			34	1.65
79			112	0.27
80			43	0.14
81			45	0.09
82			53	0.07
83			55	0.35
84			52	0.23
85			57	1.77
86			63	0.08
87			64	0.24
88			65	0.29
89			70	0.40
90			71	0.16
91			74	1.30
92			78	0.21
93			117	0.22
94			119/1	0.06
95			72/1	0.20
96			76	0.24
97			119/2	0.28
98			72/2	0.20
99			119/3	0.28
100			72/3	0.20
101			119/4	0.01
102			121	0.26
103			72/4	0.20
104			111	0.19
105			79	0.14
106			81	0.19
107			90	0.11
108			91	0.36
109			82	0.28
110			100	0.06
111			102	0.12
112			113	0.12
113			94	0.35

114				99	0.45
115				95	0.66
116				105	0.14
117				131	0.05
118				133	0.24
119				135	0.30
120				136	0.22
121				98	0.88
122				101	0.05
123				58	0.18
124				96	2.57
125				129	1.77
126				11	0.62
127				19	0.74
128				22	1.42
129				6	0.70
130				10	0.69
131				12	3.76
132				13	1.04
133				14	0.58
134				35	5.70
135				36	10.08
136				33	0.05
137				38	0.05
138				73	0.69
139				75	0.53
140				46	0.08
141				47	0.24
142				54	0.08
143				56	0.09
144				67	0.73
145				68	0.13
146				77	0.76
147				143	0.16
148				144	2.72
149				141	0.18
150				145	0.18
151				146	1.48

152				118	0.12
153				93	0.15
154				97	0.38
155				104	0.08
156				122	0.03
157				123	0.10
158				124	0.05
159				126	0.37
160				128	0.09
161				142	0.16
162				220	1.00
				योग:-	92.027

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 92.027 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0052/अ-20(3) वर्ष 2022-2023 दिनांक 12.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0013/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर, जिला-पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील अमानगंज, जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 15 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Marha-B** N 24° 31' 12.320" E 79° 56' 5.038" to N 24° 32' 3.339 E 79° 56' 14.037" North Latitude and N 24° 31' 56.990" E 79° 55' 44.896" to N 24° 31' 58.342 E 79° 56' 20.701" East Longitude.

SCHEDULE**District- Panna****Forest Division - Panna Tiger Reserve****Tahsil- Amanganj****Forest Range -Amanganj Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included			Description of Boundaries	
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.		
2	3	4	5	6	7	
1	Marha-B	Marha	M.P. Govt. Forest Department	132	0.40	North- From Pillar No. 17 to 18 and Pillar No. 1 to 2. East - From Pillar No. 2 to 6. South - From Pillar No. 6 to 7. West - From Pillar No. 7 to 17.
2				138	0.15	
3				21	1.01	
4				23	1.29	
5				5	0.36	
6				1	2.66	
7				2	0.81	
8				3	4.11	
9				4	3.12	
10				130	0.32	
11				139	0.24	
12				140	0.10	
13				59	0.35	
14				60	0.30	
15				61	0.51	
16				62	0.31	
17				7	0.59	
18				89	0.47	
19				103	0.17	
20				127	0.10	
21				27	0.82	
22				28	0.29	
23				51	0.17	
24				8	0.68	
25				86	0.10	

26				9/1	0.10
27				120	0.12
28				17/2	0.58
29				83	0.20
30				84	0.11
31				9/2	0.15
32				9/3	0.10
33				115/2	0.10
34				17/3	0.58
35				17/1/2	0.19
36				85	0.43
37				110	0.13
38				15	0.23
39				24	0.83
40				25	0.34
41				26	0.61
42				134	0.34
43				137	0.19
44				16	0.74
45				42	0.10
46				17/1/1	0.20
47				87/1	0.10
48				87/2	0.06
49				88/2	0.06
50				115/1	0.10
51				17/1/3	0.19
52				88/1	0.10
53				109	0.16
54				125	0.25
55				18	0.70
56				39	0.30
57				41	0.33
58				44	0.12
59				106	0.18
60				107	0.05
61				20	0.36
62				29	0.52
63				32	0.45
64				37	2.00
65				40	0.54
66				66	0.12
67				69	0.56
68				92	0.18
69				108	0.33
70				114	0.21

71			116	0.09
72			30	0.62
73			31	1.58
74			48	0.26
75			49	0.16
76			50	0.60
77			80	0.11
78			34	1.65
79			112	0.27
80			43	0.14
81			45	0.09
82			53	0.07
83			55	0.35
84			52	0.23
85			57	1.77
86			63	0.08
87			64	0.24
88			65	0.29
89			70	0.40
90			71	0.16
91			74	1.30
92			78	0.21
93			117	0.22
94			119/1	0.06
95			72/1	0.20
96			76	0.24
97			119/2	0.28
98			72/2	0.20
99			119/3	0.28
100			72/3	0.20
101			119/4	0.01
102			121	0.26
103			72/4	0.20
104			111	0.19
105			79	0.14
106			81	0.19
107			90	0.11
108			91	0.36
109			82	0.28
110			100	0.06
111			102	0.12
112			113	0.12
113			94	0.35
114			99	0.45
115			95	0.66

116				105	0.14
117				131	0.05
118				133	0.24
119				135	0.30
120				136	0.22
121				98	0.88
122				101	0.05
123				58	0.18
124				96	2.57
125				129	1.77
126				11	0.62
127				19	0.74
128				22	1.42
129				6	0.70
130				10	0.69
131				12	3.76
132				13	1.04
133				14	0.58
134				35	5.70
135				36	10.08
136				33	0.05
137				38	0.05
138				73	0.69
139				75	0.53
140				46	0.08
141				47	0.24
142				54	0.08
143				56	0.09
144				67	0.73
145				68	0.13
146				77	0.76
147				143	0.16
148				144	2.72
149				141	0.18
150				145	0.18
151				146	1.48
152				118	0.12
153				93	0.15
154				97	0.38
155				104	0.08
156				122	0.03
157				123	0.10
158				124	0.05
159				126	0.37
160				128	0.09

161				142	0.16	
162				220	1.00	
				Total:-	92.027	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 92.027 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department order No 0052/अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 12.12.2022 of Collector Panna and Order of Sub-Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Gunnor, District Chhatarpur, case number/0013/अ-82/2021-22 dated 27.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Gunnor, District Panna and Tehsildar Amanganj, District Panna are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड मरहा-स N 24° 31' 34.197" E 79° 56' 45.912" से N 24° 31' 55.498 E 79° 56' 39.125" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31' 49.698" E 79° 56' 36.505" से N 24° 31' 34.323 E 79° 56' 59.906" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- पन्ना

तहसील -अमानगंज

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -अमानगंज बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	मरहा-स	मरहा		150	1.06	उत्तर - मुनारा क्रमांक 23 से 1 एवं मुनारा क्रमांक 3 तक। पूर्व- मुनारा क्रमांक 3 से 12 तक। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 12 से 14 तक। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 14 से 23 तक।
2				161	0.83	
3				154/2	0.47	
4				154/3	0.45	
5				160	0.48	
6				153	0.40	
7				169	0.79	
8				172	0.15	
9				173	0.30	
10				177	0.21	
11				159	0.66	
12				179	0.66	
13				148	1.05	
14				166	1.52	
15				174	0.36	
16				149	0.48	
17				158	0.99	
18				176	0.56	
19				151/1	0.06	
20				151/2	0.06	
21				151/3	0.06	
22				151/4	0.07	
23				170	0.52	

24				154/1	0.45
25				157	0.46
26				167	0.37
27				163	0.66
28				168	0.30
29				147	0.37
30				152	1.59
31				155	0.85
32				156	0.7
33				165	0.23
34				171	0.21
35				175	0.4
36				178	0.619
37				162	1.52
38				164	2.09
				योग:-	23.009

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 23.009 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0052/अ-20(3) वर्ष 2022-2023 दिनांक 12.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0013/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर, जिला-पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील अमानगंज, जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 15 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Marha-C** N 24° 31' 34.197" E 79° 56' 45.912" to N 24° 31' 55.498 E 79° 56' 39.125" North Latitude and N 24° 31' 49.698" E 79° 56' 36.505" to N 24° 31' 34.323 E 79° 56' 59.906" East Longitude.

SCHEDULE**District- Panna****Tahsil- Amanganj****Forest Division - Panna Tiger Reserve****Forest Range -Amanganj Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Marha-C	Marha	M.P. Govt. Forest Department	150	1.06	North- From Pillar No. 23 to 1 and 3. East - From Pillar No. 3 to 12. South -From Pillar No. 12 to 14. West - From Pillar No. 14 to 23.
2				161	0.83	
3				154/2	0.47	
4				154/3	0.45	
5				160	0.48	
6				153	0.40	
7				169	0.79	
8				172	0.15	
9				173	0.30	
10				177	0.21	
11				159	0.66	
12				179	0.66	
13				148	1.05	
14				166	1.52	
15				174	0.36	
16				149	0.48	
17				158	0.99	
18				176	0.56	
19				151/1	0.06	
20				151/2	0.06	
21				151/3	0.06	
22				151/4	0.07	
23				170	0.52	
24				154/1	0.45	
25				157	0.46	

26				167	0.37
27				163	0.66
28				168	0.30
29				147	0.37
30				152	1.59
31				155	0.85
32				156	0.7
33				165	0.23
34				171	0.21
35				175	0.4
36				178	0.619
37				162	1.52
38				164	2.09
				Total:-	23.009

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 23.009 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department order No 0052/अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 12.12.2022 of Collector Panna and Order of Sub-Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Gunnor, District Chhatarpur, case number/0013/अ-82/2021-22 dated 27.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Gunnor, District Panna and Tehsildar Amanganj, District Panna are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड मरहा-द N 24° 29' 14.687" E 79° 57' 57.766" से N 24° 30' 1.168 E 79° 57' 54.612" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 29' 52.617" E 79° 57' 41.196" से N 24° 29' 25.664 E 79° 58' 26.718" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- पन्ना

तहसील -अमानगंज

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र --अमानगंज बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	मरहा-द	मरहा		228	0.26	उत्तर - मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक। पूर्व- मुनारा क्रमांक 5 से 11 तक। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 11 से 19 तक। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 19 से होते हुये खसरा क्र. 228, 229, 230, 231 के निर्मित पेंच जिसमे मुनारा क्रमांक 1 से 7 तक अंकित है, को शामिल करते हुये मुनारा क्रमांक 26 से 1 तक। वनखण्ड में शामिल पेंच का विवरण उत्तर- मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक। पूर्व- मुनारा क्रमांक 4 से 5 तक। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 5 से 7 तक। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 7 से 1 तक।
2				234/2	0.14	
3				327/2	0.23	
4				233/2	0.07	
5				234/1	0.08	
6				243/2	0.42	
7				315/2	0.46	
8				327/1	0.20	
9				328	0.45	
10				233/1	0.14	
11				243/3	0.42	
12				315/3	0.46	
13				326/2	0.64	
14				229	0.08	
15				182	0.94	
16				243/1	0.42	
17				326/1	0.41	
18				315/1/1	0.23	
19				315/1/2	0.23	
20				285	1.00	
21				307	0.96	
22				231	0.15	
23				331	0.66	
24				232	0.18	

25				286	0.30
26				306	1.87
27				332	1.19
28				309	1.00
29				324	0.46
30				334	0.39
31				235/1	0.05
32				302	0.53
33				319	0.37
34				235/2	0.05
35				235/3	0.05
36				269	0.84
37				325	0.39
38				235/4	0.05
39				230	0.35
40				240	0.49
41				242	0.78
42				293/2	0.25
43				295	0.58
44				330	0.75
45				284	0.65
46				320	0.58
47				333	0.46
48				311	0.52
49				301	0.92
50				323	0.54
51				238	0.52
52				275	0.06
53				276	0.05
54				288	0.11
55				289	0.05
56				293/1	0.20
57				239	0.16
58				292	0.07
59				317	0.99
60				250	1.23
61				257	1.68
62				264/2	2.00
63				278	1.16
64				279	1.42
65				308	0.45
66				310	0.52
67				312	0.66
68				314	0.60

69				316	0.63
70				321	1.18
71				322	0.82
72				336	0.61
73				329	0.77
74				237	0.68
75				262	2.11
76				252	1.47
77				253	1.1
78				254	0.2
79				255	0.77
80				256	0.62
81				259	3.83
82				260	0.6
83				264/1	7.22
84				236	11.533
85				244	0.52
86				247	0.17
87				248	2.52
88				251/1	0.8
89				251/2	0.8
90				251/3	0.8
91				251/4	0.46
92				258	2.51
93				261	0.32
94				265	0.2
95				266	1.22
96				268	0.48
97				241	0.8
98				245	0.3
99				246	0.3
100				249	0.68
101				263	0.6
102				267	0.237
103				270	1.06
104				271	0.88
105				272	0.24
106				273	0.94
107				277	0.43
108				280	0.15
109				281	0.77

110				282	0.12
111				283	0.7
112				287	0.46
113				290	0.78
114				305	0.46
115				291	0.48
116				274	0.423
117				297	0.32
118				298	0.51
119				299/1	0.81
120				300	0.17
121				303	0.17
122				304	0.81
123				313	0.89
124				318	0.34
125				335	0.85
126				337	0.708
127				296	0.75
128				227	1.02
129				226	0.27
				योग:-	98.938

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 98.938 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0052/अ-20(3) वर्ष 2022-2023 दिनांक 12.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0013/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर, जिला-पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील अमानगंज, जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 15 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Marha-D** N 24° 29' 14.687" E 79° 57' 57.766" to N 24° 30' 1.168 E 79° 57' 54.612" North Latitude and N 24° 29' 52.617" E 79° 57' 41.196" to N 24° 29' 25.664 E 79° 58' 26.718" East Longitude.

SCHEDULE**District- Panna****Tahsil- Amanganj****Forest Division - Panna Tiger Reserve****Forest Range -Amanganj Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Marha-D	Marha	M.P. Govt. Forest Department	228	0.26	North- From Pillar No. 1 to 5. East - From Pillar No. 5 to 11. South - From Pillar No. 11 to 19. West - From Pillar No. 19 to patches of khasra No. 228, 229, 230, 231 in which Pillar numbered from 1 to 7 inclusive to Pillar No. 26 and 1. Patch included in the Forest Block North- From Pillar No. 1 to 4. East - From Pillar No. 4 to 5. South - From Pillar No. 5 to 7. West - From Pillar No. 7 to 1.
2				234/2	0.14	
3				327/2	0.23	
4				233/2	0.07	
5				234/1	0.08	
6				243/2	0.42	
7				315/2	0.46	
8				327/1	0.20	
9				328	0.45	
10				233/1	0.14	
11				243/3	0.42	
12				315/3	0.46	
13				326/2	0.64	
14				229	0.08	
15				182	0.94	
16				243/1	0.42	
17				326/1	0.41	
18				315/1/1	0.23	
19				315/1/2	0.23	
20				285	1.00	
21				307	0.96	
22				231	0.15	
23				331	0.66	
24				232	0.18	
25				286	0.30	
26				306	1.87	

27			332	1.19
28			309	1.00
29			324	0.46
30			334	0.39
31			235/1	0.05
32			302	0.53
33			319	0.37
34			235/2	0.05
35			235/3	0.05
36			269	0.84
37			325	0.39
38			235/4	0.05
39			230	0.35
40			240	0.49
41			242	0.78
42			293/2	0.25
43			295	0.58
44			330	0.75
45			284	0.65
46			320	0.58
47			333	0.46
48			311	0.52
49			301	0.92
50			323	0.54
51			238	0.52
52			275	0.06
53			276	0.05
54			288	0.11
55			289	0.05
56			293/1	0.20
57			239	0.16
58			292	0.07
59			317	0.99
60			250	1.23
61			257	1.68
62			264/2	2.00
63			278	1.16
64			279	1.42
65			308	0.45
66			310	0.52
67			312	0.66
68			314	0.60
69			316	0.63
70			321	1.18
71			322	0.82

72				336	0.61
73				329	0.77
74				237	0.68
75				262	2.11
76				252	1.47
77				253	1.1
78				254	0.2
79				255	0.77
80				256	0.62
81				259	3.83
82				260	0.6
83				264/1	7.22
84				236	11.533
85				244	0.52
86				247	0.17
87				248	2.52
88				251/1	0.8
89				251/2	0.8
90				251/3	0.8
91				251/4	0.46
92				258	2.51
93				261	0.32
94				265	0.2
95				266	1.22
96				268	0.48
97				241	0.8
98				245	0.3
99				246	0.3
100				249	0.68
101				263	0.6
102				267	0.237
103				270	1.06
104				271	0.88
105				272	0.24
106				273	0.94
107				277	0.43
108				280	0.15
109				281	0.77
110				282	0.12
111				283	0.7
112				287	0.46
113				290	0.78
114				305	0.46
115				291	0.48
116				274	0.423
117				297	0.32
118				298	0.51
119				299/1	0.81
120				300	0.17
121				303	0.17
122				304	0.81
123				313	0.89
124				318	0.34
125				335	0.85
126				337	0.708

127				296	0.75
128				227	1.02
129				226	0.27
				Total:-	98.938

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 98.938 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department order No 0052/अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 12.12.2022 of Collector Panna and Order of Sub-Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Gunnor, District Chhatarpur, case number/0013/अ-82/2021-22 dated 27.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Gunnor, District Panna and Tehsildar Amanganj, District Panna are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .

2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड नैगुवा-अ N 24° 29' 58.597" E 79° 46' 57.893" से N 24° 32' 23.091 E 79° 47' 31.079" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31' 26.795" E 79° 45' 46.398" से N 24° 31' 13.780 E 79° 48' 40.856" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -बिजावर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	नैगुवा-अ	नैगुवा	म.प्र. शासन वन विभाग	17/6	0.607	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड, कदवारा के मुनारा क्रमांक 3 से होते हुये प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 46 से 57 एवं मुनारा क्रमांक 2 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा। पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 18 तक राजस्व ग्राम नैगुवा की सीमा। मुनारा क्रमांक 18 से 32 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा। दक्षिण - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 38 से 45 तक एवं मुनारा क्रमांक 45 से वनखण्ड कदवारा के मुनारा क्रमांक 13 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा। पश्चिम - वनखण्ड कदवारा के मुनारा क्रमांक 13 से 3 तक।
2				33/6	0.809	
3				23/4	0.405	
4				31/2	0.64	
5				31/6	0.405	
6				37/20	0.364	
7				221	0.04	
8				228	0.154	
9				31/3	0.093	
10				31/4	0.073	
11				37/21	0.607	
12				37/23	0.405	
13				105/4	0.231	
14				132	0.073	
15				133	0.368	
16				257/3	0.243	
17				32	0.934	
18				37/5	0.202	
19				251/3	0.304	
20				33/2	1.214	
21				215	0.32	
22				33/3	0.198	
23				33/4	0.219	

24				35/1	1.518
25				36	1.343
26				34	0.093
27				37/2	0.607
28				37/19	0.607
29				37/22	0.324
30				51/2	0.506
31				217	0.17
32				262/4	0.809
33				37/3	1.125
34				51/3	0.162
35				197/9	0.202
36				248/11	0.405
37				37/7	0.854
38				197/8	0.607
39				212	0.231
40				213	0.198
41				214	0.117
42				230	0.008
43				251/4	0.547
44				37/9	0.146
45				51/4	0.583
46				240	0.008
47				241	0.672
48				37/11	0.243
49				153/1	0.53
50				153/3	0.04
51				216	0.166
52				231	0.04
53				232	0.134
54				37/16	0.202
55				37/17	0.142
56				39/6	0.142
57				92	0.125
58				150	0.255
59				169	0.146
60				179	0.384
61				37/24	0.405

62			39/10	0.486
63			61/6	0.243
64			222	0.414
65			225	0.158
66			242	0.158
67			357/6	0.243
68			46	0.902
69			47	0.267
70			48	0.267
71			49	6.244
72			50	1.485
73			57/2	0.688
74			131	0.223
75			136	0.19
76			51/7	0.142
77			58	1.858
78			236/1	0.324
79			236/2	0.117
80			249	0.239
81			251/1	0.332
82			107/5	0.405
83			81/2	0.506
84			85	0.829
85			86	0.016
86			87	0.045
87			264/9	0.648
88			82/2	0.081
89			83/3	0.081
90			91	0.219
91			278/2	0.547
92			83/1	0.202
93			84	0.19
94			83/2/1	0.445
95			89	0.024
96			156	1.315
97			157/1	0.466
98			171	0.194
99			90	0.575

100			195/14	0.162
101			93	0.32
102			124	0.085
103			198/8	1.659
104			94	0.231
105			95/2	0.202
106			262/5	0.283
107			97	0.166
108			142	0.036
109			143	0.117
110			98	0.308
111			100	0.429
112			103	0.032
113			111	0.049
114			123	0.773
115			261/3	0.061
116			262/6	0.121
117			99	0.312
118			129/2	0.34
119			198/2	0.534
120			205/4	0.202
121			105/3	0.081
122			141	0.49
123			195/3	0.186
124			196/2	0.283
125			107/3	0.409
126			113	0.486
127			125	0.225
128			108	0.737
129			118	0.073
130			119	0.125
131			120	0.255
132			188/2	0.304
133			197/12	0.445
134			262/2	0.04
135			262/3	0.547
136			269/4	0.344
137			310/11	0.547

138			114	0.02
139			115	0.012
140			117	0.458
141			121	0.223
142			195/11	0.121
143			261/4	0.324
144			122	0.571
145			139	0.324
146			145	0.032
147			146	0.263
148			148	0.271
149			154/1	0.785
150			151	0.223
151			152	0.547
152			154/2	0.486
153			155	0.458
154			154/3	0.101
155			157/2	0.405
156			158/2	0.34
157			157/3	0.162
158			163/3	0.753
159			163/4	0.162
160			262/12	0.101
161			211	1.696
162			219	0.053
163			233	0.316
164			238	0.016
165			245	0.17
166			246	0.065
167			250	0.551
168			280/5	0.607
169			311/5	0.405
170			305/2	0.809
171			339/1	0.243
172			340/2	0.374
173			343/3	0.343
174			306/2	0.243
175			307	0.514

176			310/5	0.243
177			310/6	0.729
178			310/7	0.506
179			310/8	0.506
180			310/9	0.737
181			310/10	0.506
182			311/3	0.405
183			429/4	0.506
184			311/4	0.405
185			314/1/3	0.405
186			315/2	0.405
187			314/1/2	0.405
188			314/1/4	0.506
189			314/1/5	0.809
190			336	0.275
191			321/2	0.202
192			322/2	0.247
193			343/1	0.324
194			323	0.798
195			324	0.271
196			327	0.206
197			328/1	0.482
198			329	0.587
199			328/2	0.607
200			332	0.021
201			335/2	0.102
202			337/1/2	0.283
203			337/2	0.332
204			338/1	0.324
205			340/1	0.081
206			341/1	0.122
207			342	0.105
208			338/2	0.172
209			338/3	0.172
210			339/2	0.202
211			343/2	0.809
212			352/2	2.023
213			429/7	0.688

214			17	0.92
215			18	4.85
216			19	3.32
217			199	5.223
218			200	0.034
219			21	3.822
220			269	9.55
221			314	2.65
222			33	4.715
223			347	1.36
224			351	6.743
225			370	20.612
226			371	1.27
227			378	7.159
228			52	0.514
229			61	0.943
230			79	0.606
231			80	1.528
232			81	2.842
233			101	0.093
234			102/1	0.632
235			102/2	0.405
236			104	0.202
237			105/1	0.882
238			105/2	0.202
239			106	0.231
240			107/2	1.754
241			107/4	0.202
242			109	0.429
243			110	0.089
244			112	0.101
245			116	0.049
246			126	0.121
247			127	0.429
248			128	0.673
249			130	0.016
250			134	0.036
251			135	0.024
252			138	0.077

253			140	0.024
254			144	0.324
255			147	0.032
256			149	0.024
257			154/4	0.081
258			158/1	0.413
259			158/3	0.384
260			159/1	1.562
261			160/1	1.011
262			160/2	0.405
263			161/2	0.275
264			162	0.02
265			163/5	0.202
266			164	0.405
267			165/2	0.162
268			165/3	0.223
269			165/4	0.21
270			165/5	0.121
271			165/6	0.291
272			165/7	0.24
273			166	0.057
274			167	0.32
275			170	0.109
276			172	0.02
277			173/1	0.101
278			173/2	0.193
279			173/3	0.081
280			173/4	0.142
281			173/5	0.17
282			173/6	0.235
283			174/1	0.352
284			174/2	0.061
285			175/1	0.129
286			176	0.47
287			177	0.376
288			178	0.498
289			180	0.21
290			181	0.514
291			182	0.219

292			183	0.737
293			184	0.926
294			185	0.987
295			186	0.336
296			187	0.971
297			188/1	0.271
298			189/1	0.198
299			189/2	0.085
300			190	0.162
301			191	0.206
302			192/1	0.129
303			192/2	0.081
304			193/1	0.053
305			193/2	0.81
306			194	0.206
307			195/12	0.142
308			195/15	0.709
309			195/2	0.498
310			195/4	0.668
311			195/5	0.101
312			195/6	0.101
313			195/7	0.316
314			195/8	0.445
315			195/9	0.162
316			197/10	0.324
317			197/11	0.364
318			197/2	0.089
319			197/3	0.065
320			197/4	0.425
321			197/5	0.263
322			197/6	0.526
323			197/7	0.162
324			198/10	0.081
325			198/3	0.308
326			198/4	1.7
327			198/5	0.89
328			198/6	0.202
329			198/7	0.162
330			198/9	0.081

331			20	18.413
332			204	0.527
333			205/1	0.526
334			205/2	0.121
335			205/3	0.101
336			206	0.061
337			207	0.486
338			209	0.109
339			210	0.081
340			218	0.061
341			22	9.793
342			220	0.704
343			223	0.016
344			224	0.032
345			226	0.016
346			227	0.016
347			229	0.032
348			23/1	10.971
349			23/2	0.364
350			23/3	0.364
351			234	0.045
352			235	0.024
353			237	0.028
354			239	0.029
355			24	1.348
356			243	0.032
357			244	0.413
358			247	0.016
359			248/1	7.422
360			248/10	0.648
361			248/12	0.344
362			248/2	0.429
363			248/3	0.121
364			248/4	0.101
365			248/5	0.518
366			248/6	0.302
367			248/7	0.121
368			248/8	0.049
369			248/9	0.04

370			25	0.041	
371			251/2	0.162	
372			251/5	0.183	
373			251/6	0.162	
374			254	0.336	
375			255	14.696	
376			256	15.175	
377			257/1	27.276	
378			257/2	0.536	
379			257/4	0.283	
380			258/1	31	
381			258/2	0.283	
382			258/3	0.567	
383			258/4	0.445	
384			259	6.617	
385			26	0.105	
386			260	0.725	
387			261/2	0.506	
388			261/5	0.061	
389			261/6	0.061	
390			261/7	0.101	
391			262/1	9.012	
392			262/10	0.879	
393			262/11	0.121	
394			262/14	0.202	
395			262/15	0.506	
396			262/16	0.243	
397			262/17	0.61	
398			262/18	0.101	
399			262/7	0.49	
400			262/8	0.162	
401			262/9	0.202	
402			263	15.175	
403			264/1	15.472	
404			264/2	0.202	
405			264/3	0.142	
406			264/4	0.121	
407			264/5	0.142	
408			264/6	0.101	

409			264/7	0.101	
410			264/8	0.142	
411			265/1	7.668	
412			265/2	0.081	
413			27	6.819	
414			277	2.448	
415			278/1	8.098	
416			279	7.426	
417			28	0.049	
418			280/1	9.089	
419			280/2	0.344	
420			280/3	0.648	
421			280/4	0.666	
422			280/6	0.769	
423			281	12.29	
424			282	9.105	
425			283	8.094	
426			284	7.07	
427			285	13.347	
428			286	12.041	
429			287	16.187	
430			288	12.141	
431			289	22.055	
432			29	6.619	
433			290	12.141	
434			291	10.445	
435			292	8.094	
436			293	25.293	
437			294	12.141	
438			295	10.465	
439			296	6.426	
440			297	6.499	
441			298	4.047	
442			299	4.047	
443			300	4.022	
444			301	4.014	
445			302	5.954	
446			303	4.913	
447			304	15.816	

448			305/1	0.648
449			308	0.016
450			309	0.362
451			31/1	9.809
452			310/1	12.472
453			315/1	0.485
454			316	0.049
455			317	0.813
456			318	0.108
457			319	0.105
458			320	1.963
459			321/1	0.611
460			322/1	0.263
461			325	0.045
462			326	0.073
463			330	0.19
464			331	0.684
465			337/3	0.68
466			338/4	0.471
467			339/3	0.291
468			340/3	0.29
469			343/4	2.995
470			344	0.825
471			345	0.134
472			346	1.125
473			348	0.498
474			352/1	8.092
475			353	7.794
476			354	0.615
477			355	9.397
478			356	22.258
479			357/1	15.836
480			357/2	1.521
481			357/3	0.194
482			357/4	0.534
483			357/5	0.202
484			357/7	0.527
485			357/8	0.506
486			357/9	0.579

487			358	18.372
488			359	0.162
489			360	1.542
490			361	0.07
491			362	0.097
492			363	9.648
493			364	17.65
494			365	6.965
495			366	12.129
496			367	0.34
497			368	2.127
498			369	7.091
499			37/1	12.159
500			37/10	0.243
501			37/12	0.729
502			37/13	0.304
503			37/14	0.243
504			37/15	0.121
505			37/18	0.445
506			37/4	0.073
507			37/6	0.043
508			37/8	0.858
509			38	0.304
510			39/1	5.136
511			39/11	0.445
512			39/12	0.202
513			39/13	0.202
514			39/14	0.263
515			39/2	0.202
516			39/3	0.042
517			39/4	0.51
518			39/5	0.652
519			39/7	0.243
520			39/8	0.245
521			39/9	0.283
522			40	0.065
523			41	0.134
524			42	0.894
525			43	0.117
526			44	0.028
527			45	0.401
528			56	0.043
529			57/1	3.334
530			57/3	0.405
531			57/4	1.133

532			59	0.482
533			60	0.21
534			82/1	0.769
535			83/2/2	0.324
536			83/4	0.324
537			88	0.032
538			95/1	0.251
539			96	0.186
540			19/1.	1.315
541			30	3.491
542			51/1	5.810
543			107/1	5.853
544			129/1	2.395
545			129/3	0.085
546			137	0.020
547			168	0.121
548			196/1	10.558
549			196/3	0.551
550			196/4	0.445
551			196/5	0.304
552			199/1/1	1.555
553			200/1	3.011
554			201	4.703
555			202	0.656
556			203	0.506
557			208	3.237
558			253/1	1.372
559			253/3	0.223
560			261/1	0.559
561			306/1	7.391
562			308/1	0.024
563			309/1	0.14
564			311/1	7.184
565			311/2	0.406
566			314/1/1/2	4.511
567			331	0.757
568			341/2	0.283
569			351/1	1.148
570			379	0.096
			कुल योग:-	976.128

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 976.128 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0029/अ-20(1)/भूमि-आवंटन/नजूल/2022-2023 दिनांक 20.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0012/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला-छतरपुर एवं तहसीलदार, तहसील बिजावर, जिला-छतरपुर का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 18th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Naguwa-A** N 24° 29' 58.597" E 79° 46' 57.893" to N 24° 32' 23.091 E 79° 47' 31.079" North Latitude and N 24° 31' 26.795" E 79° 45' 46.398" to N 24° 31' 13.780 E 79° 48' 40.856" East Longitude.

SCHEDULE**District- Chhatarpur****Tahsil- Bijawar****Forest Division - Panna Tiger Reserve****Forest Range - Kishangarh Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Naguwa-A	Naguwa	M.P. Govt. Forest Department	17/6	0.607	North- Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 3 of protected forest block Kadwara to Pillar No. 46 to 57 and 2 of proposed forest block.
2				33/6	0.809	
3				23/4	0.405	
4				31/2	0.64	
5				31/6	0.405	
6				37/20	0.364	
7				221	0.04	
8				228	0.154	
9				31/3	0.093	
10				31/4	0.073	
11				37/21	0.607	East- Boundary of revenue village Naguwa from Pillar No. 2 to 18 of proposed forest block. Boundary of forest block Kishangarh from Pillar No. 18 to 32. Boundary of forest block Kakra from Pillar No. 32 to 38.
12				37/23	0.405	
13				105/4	0.231	
14				132	0.073	
15				133	0.368	
16				257/3	0.243	
17				32	0.934	
18				37/5	0.202	
19				251/3	0.304	
20				33/2	1.214	
						West- Pillar No. 13 to 3 of forest block Kadwara.

21				215	0.32
22				33/3	0.198
23				33/4	0.219
24				35/1	1.518
25				36	1.343
26				34	0.093
27				37/2	0.607
28				37/19	0.607
29				37/22	0.324
30				51/2	0.506
31				217	0.17
32				262/4	0.809
33				37/3	1.125
34				51/3	0.162
35				197/9	0.202
36				248/11	0.405
37				37/7	0.854
38				197/8	0.607
39				212	0.231
40				213	0.198
41				214	0.117
42				230	0.008
43				251/4	0.547
44				37/9	0.146
45				51/4	0.583
46				240	0.008
47				241	0.672
48				37/11	0.243
49				153/1	0.53
50				153/3	0.04
51				216	0.166
52				231	0.04
53				232	0.134
54				37/16	0.202
55				37/17	0.142
56				39/6	0.142
57				92	0.125
58				150	0.255

59				169	0.146
60				179	0.384
61				37/24	0.405
62				39/10	0.486
63				61/6	0.243
64				222	0.414
65				225	0.158
66				242	0.158
67				357/6	0.243
68				46	0.902
69				47	0.267
70				48	0.267
71				49	6.244
72				50	1.485
73				57/2	0.688
74				131	0.223
75				136	0.19
76				51/7	0.142
77				58	1.858
78				236/1	0.324
79				236/2	0.117
80				249	0.239
81				251/1	0.332
82				107/5	0.405
83				81/2	0.506
84				85	0.829
85				86	0.016
86				87	0.045
87				264/9	0.648
88				82/2	0.081
89				83/3	0.081
90				91	0.219
91				278/2	0.547
92				83/1	0.202
93				84	0.19
94				83/2/1	0.445
95				89	0.024
96				156	1.315

97			157/1	0.466
98			171	0.194
99			90	0.575
100			195/14	0.162
101			93	0.32
102			124	0.085
103			198/8	1.659
104			94	0.231
105			95/2	0.202
106			262/5	0.283
107			97	0.166
108			142	0.036
109			143	0.117
110			98	0.308
111			100	0.429
112			103	0.032
113			111	0.049
114			123	0.773
115			261/3	0.061
116			262/6	0.121
117			99	0.312
118			129/2	0.34
119			198/2	0.534
120			205/4	0.202
121			105/3	0.081
122			141	0.49
123			195/3	0.186
124			196/2	0.283
125			107/3	0.409
126			113	0.486
127			125	0.225
128			108	0.737
129			118	0.073
130			119	0.125
131			120	0.255
132			188/2	0.304
133			197/12	0.445
134			262/2	0.04

135			262/3	0.547
136			269/4	0.344
137			310/11	0.547
138			114	0.02
139			115	0.012
140			117	0.458
141			121	0.223
142			195/11	0.121
143			261/4	0.324
144			122	0.571
145			139	0.324
146			145	0.032
147			146	0.263
148			148	0.271
149			154/1	0.785
150			151	0.223
151			152	0.547
152			154/2	0.486
153			155	0.458
154			154/3	0.101
155			157/2	0.405
156			158/2	0.34
157			157/3	0.162
158			163/3	0.753
159			163/4	0.162
160			262/12	0.101
161			211	1.696
162			219	0.053
163			233	0.316
164			238	0.016
165			245	0.17
166			246	0.065
167			250	0.551
168			280/5	0.607
169			311/5	0.405
170			305/2	0.809
171			339/1	0.243
172			340/2	0.374

173			343/3	0.343
174			306/2	0.243
175			307	0.514
176			310/5	0.243
177			310/6	0.729
178			310/7	0.506
179			310/8	0.506
180			310/9	0.737
181			310/10	0.506
182			311/3	0.405
183			429/4	0.506
184			311/4	0.405
185			314/1/3	0.405
186			315/2	0.405
187			314/1/2	0.405
188			314/1/4	0.506
189			314/1/5	0.809
190			336	0.275
191			321/2	0.202
192			322/2	0.247
193			343/1	0.324
194			323	0.798
195			324	0.271
196			327	0.206
197			328/1	0.482
198			329	0.587
199			328/2	0.607
200			332	0.021
201			335/2	0.102
202			337/1/2	0.283
203			337/2	0.332
204			338/1	0.324
205			340/1	0.081
206			341/1	0.122
207			342	0.105
208			338/2	0.172
209			338/3	0.172
210			339/2	0.202

211			343/2	0.809	
212			352/2	2.023	
213			429/7	0.688	
214			17	0.92	
215			18	4.85	
216			19	3.32	
217			199	5.223	
218			200	0.034	
219			21	3.822	
220			269	9.55	
221			314	2.65	
222			33	4.715	
223			347	1.36	
224			351	6.743	
225			370	20.612	
226			371	1.27	
227			378	7.159	
228			52	0.514	
229			61	0.943	
230			79	0.606	
231			80	1.528	
232			81	2.842	
233			101	0.093	
234			102/1	0.632	
235			102/2	0.405	
236			104	0.202	
237			105/1	0.882	
238			105/2	0.202	
239			106	0.231	
240			107/2	1.754	
241			107/4	0.202	
242			109	0.429	
243			110	0.089	
244			112	0.101	
245			116	0.049	
246			126	0.121	
247			127	0.429	
248			128	0.673	

249			130	0.016
250			134	0.036
251			135	0.024
252			138	0.077
253			140	0.024
254			144	0.324
255			147	0.032
256			149	0.024
257			154/4	0.081
258			158/1	0.413
259			158/3	0.384
260			159/1	1.562
261			160/1	1.011
262			160/2	0.405
263			161/2	0.275
264			162	0.02
265			163/5	0.202
266			164	0.405
267			165/2	0.162
268			165/3	0.223
269			165/4	0.21
270			165/5	0.121
271			165/6	0.291
272			165/7	0.24
273			166	0.057
274			167	0.32
275			170	0.109
276			172	0.02
277			173/1	0.101
278			173/2	0.193
279			173/3	0.081
280			173/4	0.142
281			173/5	0.17
282			173/6	0.235
283			174/1	0.352
284			174/2	0.061
285			175/1	0.129
286			176	0.47

287			177	0.376
288			178	0.498
289			180	0.21
290			181	0.514
291			182	0.219
292			183	0.737
293			184	0.926
294			185	0.987
295			186	0.336
296			187	0.971
297			188/1	0.271
298			189/1	0.198
299			189/2	0.085
300			190	0.162
301			191	0.206
302			192/1	0.129
303			192/2	0.081
304			193/1	0.053
305			193/2	0.81
306			194	0.206
307			195/12	0.142
308			195/15	0.709
309			195/2	0.498
310			195/4	0.668
311			195/5	0.101
312			195/6	0.101
313			195/7	0.316
314			195/8	0.445
315			195/9	0.162
316			197/10	0.324
317			197/11	0.364
318			197/2	0.089
319			197/3	0.065
320			197/4	0.425
321			197/5	0.263
322			197/6	0.526
323			197/7	0.162
324			198/10	0.081

325			198/3	0.308
326			198/4	1.7
327			198/5	0.89
328			198/6	0.202
329			198/7	0.162
330			198/9	0.081
331			20	18.413
332			204	0.527
333			205/1	0.526
334			205/2	0.121
335			205/3	0.101
336			206	0.061
337			207	0.486
338			209	0.109
339			210	0.081
340			218	0.061
341			22	9.793
342			220	0.704
343			223	0.016
344			224	0.032
345			226	0.016
346			227	0.016
347			229	0.032
348			23/1	10.971
349			23/2	0.364
350			23/3	0.364
351			234	0.045
352			235	0.024
353			237	0.028
354			239	0.029
355			24	1.348
356			243	0.032
357			244	0.413
358			247	0.016
359			248/1	7.422
360			248/10	0.648
361			248/12	0.344
362			248/2	0.429

363			248/3	0.121
364			248/4	0.101
365			248/5	0.518
366			248/6	0.302
367			248/7	0.121
368			248/8	0.049
369			248/9	0.04
370			25	0.041
371			251/2	0.162
372			251/5	0.183
373			251/6	0.162
374			254	0.336
375			255	14.696
376			256	15.175
377			257/1	27.276
378			257/2	0.536
379			257/4	0.283
380			258/1	31
381			258/2	0.283
382			258/3	0.567
383			258/4	0.445
384			259	6.617
385			26	0.105
386			260	0.725
387			261/2	0.506
388			261/5	0.061
389			261/6	0.061
390			261/7	0.101
391			262/1	9.012
392			262/10	0.879
393			262/11	0.121
394			262/14	0.202
395			262/15	0.506
396			262/16	0.243
397			262/17	0.61
398			262/18	0.101
399			262/7	0.49
400			262/8	0.162

401			262/9	0.202
402			263	15.175
403			264/1	15.472
404			264/2	0.202
405			264/3	0.142
406			264/4	0.121
407			264/5	0.142
408			264/6	0.101
409			264/7	0.101
410			264/8	0.142
411			265/1	7.668
412			265/2	0.081
413			27	6.819
414			277	2.448
415			278/1	8.098
416			279	7.426
417			28	0.049
418			280/1	9.089
419			280/2	0.344
420			280/3	0.648
421			280/4	0.666
422			280/6	0.769
423			281	12.29
424			282	9.105
425			283	8.094
426			284	7.07
427			285	13.347
428			286	12.041
429			287	16.187
430			288	12.141
431			289	22.055
432			29	6.619
433			290	12.141
434			291	10.445
435			292	8.094
436			293	25.293
437			294	12.141
438			295	10.465

439				296	6.426	
440				297	6.499	
441				298	4.047	
442				299	4.047	
443				300	4.022	
444				301	4.014	
445				302	5.954	
446				303	4.913	
447				304	15.816	
448				305/1	0.648	
449				308	0.016	
450				309	0.362	
451				31/1	9.809	
452				310/1	12.472	
453				315/1	0.485	
454				316	0.049	
455				317	0.813	
456				318	0.108	
457				319	0.105	
458				320	1.963	
459				321/1	0.611	
460				322/1	0.263	
461				325	0.045	
462				326	0.073	
463				330	0.19	
464				331	0.684	
465				337/3	0.68	
466				338/4	0.471	
467				339/3	0.291	
468				340/3	0.29	
469				343/4	2.995	
470				344	0.825	
471				345	0.134	
472				346	1.125	
473				348	0.498	
474				352/1	8.092	
475				353	7.794	
476				354	0.615	

477			355	9.397
478			356	22.258
479			357/1	15.836
480			357/2	1.521
481			357/3	0.194
482			357/4	0.534
483			357/5	0.202
484			357/7	0.527
485			357/8	0.506
486			357/9	0.579
487			358	18.372
488			359	0.162
489			360	1.542
490			361	0.07
491			362	0.097
492			363	9.648
493			364	17.65
494			365	6.965
495			366	12.129
496			367	0.34
497			368	2.127
498			369	7.091
499			37/1	12.159
500			37/10	0.243
501			37/12	0.729
502			37/13	0.304
503			37/14	0.243
504			37/15	0.121
505			37/18	0.445
506			37/4	0.073
507			37/6	0.043
508			37/8	0.858
509			38	0.304
510			39/1	5.136
511			39/11	0.445
512			39/12	0.202
513			39/13	0.202
514			39/14	0.263
515			39/2	0.202
516			39/3	0.042

517			39/4	0.51
518			39/5	0.652
519			39/7	0.243
520			39/8	0.245
521			39/9	0.283
522			40	0.065
523			41	0.134
524			42	0.894
525			43	0.117
526			44	0.028
527			45	0.401
528			56	0.043
529			57/1	3.334
530			57/3	0.405
531			57/4	1.133
532			59	0.482
533			60	0.21
534			82/1	0.769
535			83/2/2	0.324
536			83/4	0.324
537			88	0.032
538			95/1	0.251
539			96	0.186
540			19/1.	1.315
541			30	3.491
542			51/1	5.810
543			107/1	5.853
544			129/1	2.395
545			129/3	0.085
546			137	0.020
547			168	0.121
548			196/1	10.558
549			196/3	0.551
550			196/4	0.445
551			196/5	0.304
552			199/1/1	1.555
553			200/1	3.011
554			201	4.703
555			202	0.656

556				203	0.506
557				208	3.237
558				253/1	1.372
559				253/3	0.223
560				261/1	0.559
561				306/1	7.391
562				308/1	0.024
563				309/1	0.14
564				311/1	7.184
565				311/2	0.406
566				314/1/1/2	4.511
567				331	0.757
568				341/2	0.283
569				351/1	1.148
570				379	0.096
				Total:-	976.128

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 976.128 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0029/अ-20(1) वर्ष 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub-Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Bijawar and District Chhatarpur, case number/0015/अ-82/2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation. for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land.
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्रमांक/ FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड नैगुवा-ब N 24° 30' 1.251" E 79° 47' 58.724" से N 24° 30' 14.929 E 79° 48' 7.275" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 30' 6.674" E 79° 47' 49.516" से N 24° 30' 9.397 E 79° 48' 7.66" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -बिजावर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	नैगुवा-ब	नैगुवा	म.प्र. शासन वन विभाग	388	0.862	उत्तर - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा। पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 11 तक। दक्षिण - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 13 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा। पश्चिम - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से होते हुये खसरा नम्बर 388 को शामिल करते हुये मुनारा क्रमांक 17 तक एवं मुनारा क्रमांक 17 से 1 तक किशनगढ़ वनखण्ड की सीमा।
2				397	0.309	
3				398	0.012	
4				399	0.191	
5				400	1.177	
6				401	0.943	
7				418	3.446	
8				419	5.894	
9				420	8.903	
			कुल योग:-		21.737	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 21.737 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0029/अ-20(1)/भूमि-आवंटन/नजूल/2022-2023 दिनांक 20.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0012/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला-छतरपुर एवं तहसीलदार, तहसील बिजावर, जिला-छतरपुर का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 18th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Naguwa-B** N 24° 30' 1.251" E 79° 47' 58.724" to N 24° 30' 14.929 E 79° 48' 7.275" North Latitude and N 24° 30' 6.674" E 79° 47' 49.516" to N 24° 30' 9.397 E 79° 48' 7.66" East Longitude.

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Tahsil- Bijawar

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range - Kishangarh Buffer

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Naguwa-B	Naguwa	M.P. Govt. Forest Department	388	0.862	North - Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 1 to 4 of proposed forest block. East - Pillar No. 4 to 11 of proposed forest block. South - Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 11 of 13 of proposed forest block. West - Through Pillar No. 13 to Pillar No. 17 including Khasra No. 388 and boundary of Kishangarh forest block from pillar No. 17 to 1.
2				397	0.309	
3				398	0.012	
4				399	0.191	
5				400	1.177	
6				401	0.943	
7				418	3.446	
8				419	5.894	
9				420	8.903	
			Total:-	21.737		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 21.737 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0029/अ-20(1)/भूमि-आवंटन/नजूल/2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub-Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Bijawar and District Chhatarpur, case number/0012/अ-82/2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation. for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .

2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

क्रमांक/ FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड नैगुवां-स N 24° 30' 5.018" E 79° 48' 30.348" से N 24° 30' 28.377 E 79° 48' 31.673" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 30' 26.039" E 79° 48' 20.945" से N 24° 30' 20.295 E 79° 48' 46.797" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -बिजावर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	नैगुवां-स	नैगुवां		429/14	0.526	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा पर स्थापित प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 30 तक। पूर्व - मुनारा क्रमांक 30 से 33 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 33 से 38 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा एवं मुनारा क्रमांक 38 से 40 तक राजस्व ग्राम नैगुवां की सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 40 से 54 एवं 1 तक।
2			423/7	0.405		
3			423/8	0.243		
4			413	0.364		
5			415/3	1.457		
6			417/5	0.283		
7			417/7	0.405		
8			417/8	0.202		
9			423/4	0.405		
10			430/1	0.356		
11			430/2	0.129		
12			437/3	0.243		
13			438	1.028		
14			439	0.13		
15			427/1	0.809		
16			428/2	0.142		
17			427/12	0.304		
18			429/5	0.486		
19			429/13	0.486		
20			410	0.493		
21			411	2.133		
22			414	0.829		
23			415/1	2.833		

24			415/2	0.202
25			416	0.522
26			421	0.957
27			424	0.478
28			425	0.102
29			426	0.720
30			427	6.663
31			428/1	0.158
32			431	0.243
33			432	0.219
34			433	0.223
35			434	0.737
36			435	1.019
37			436	0.413
38			437/1	3.019
39			452	0.316
40			453	0.202
41			454	0.053
42			455	0.539
43			456	0.519
44			457	0.603
45			459	0.235
46			461	0.015
47			462	0.386
			कुल योग:-	33.234

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 33.234 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में आदेश क्रमांक 0029/अ-20(1)/भूमि-आवंटन/नजूल/2022-2023 दिनांक 20.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0012/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला-छतरपुर एवं तहसीलदार, तहसील बिजावर, जिला-छतरपुर का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 18th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Naguwa-C** N 24° 30' 5.018" E 79° 48' 30.348" to N 24° 30' 28.377 E 79° 48' 31.673" North Latitude and N 24° 30' 26.039" E 79° 48' 20.945" to N 24° 30' 20.295 E 79° 48' 46.797" East Longitude.

SCHEDULE**District- Chhatarpur****Tahsil- Bijawar****Forest Division - Panna Tiger Reserve****Forest Range - Kishangarh Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Naguwa-C	Naguwa	M.P. Govt. Forest Department	429/14	0.526	North - Pillar No. 1 of the proposed forest block erected on the boundary of Kishangarh forest block to Pillar No. 30. East - Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 30 to 33. South- Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 33 to 38 and boundary of revenue village Naguwa from Pillar No. 38 to 40. West - From Pillar No. 40 to 54 and 1.
2				423/7	0.405	
3				423/8	0.243	
4				413	0.364	
5				415/3	1.457	
6				417/5	0.283	
7				417/7	0.405	
8				417/8	0.202	
9				423/4	0.405	
10				430/1	0.356	
11				430/2	0.129	
12				437/3	0.243	
13				438	1.028	
14				439	0.13	
15				427/1	0.809	
16				428/2	0.142	
17				427/12	0.304	
18				429/5	0.486	

19			429/13	0.486
20			410	0.493
21			411	2.133
22			414	0.829
23			415/1	2.833
24			415/2	0.202
25			416	0.522
26			421	0.957
27			424	0.478
28			425	0.102
29			426	0.720
30			427	6.663
31			428/1	0.158
32			431	0.243
33			432	0.219
34			433	0.223
35			434	0.737
36			435	1.019
37			436	0.413
38			437/1	3.019
39			452	0.316
40			453	0.202
41			454	0.053
42			455	0.539
43			456	0.519
44			457	0.603
45			459	0.235
46			461	0.015
47			462	0.386
			Total:-	33.234

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 33.234 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0029/अ-20(1)/भूमि-आवंटन/नजूल/2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub-Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Bijawar and District Chhatarpur, case number/0012/अ-82/2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation. for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड सुकवाहा-ए N 24°34'5.330" E 79°44'31.933" से N 24°34'33.255 E 79°44'9.754" उत्तर अक्षांश तथा N 24°34'6.988" E 79°44'44.407" से N 24°34'12.115 E 79°44'7.651" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -सटई

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सुकवाहा-ए	सुकवाहा	म.प्र. शासन वन विभाग	123	14.447	उत्तर - मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक। पूर्व - मुनारा क्रमांक 2 एवं संरक्षित वनखण्ड पलकोंहा की सीमा में स्थित नाला सीमा से मुनारा क्रमांक 3 एवं मुनारा क्रमांक 3 से 6 तक। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 6 से 7 एवं मुनारा क्रमांक 4 तक एवं मुनारा क्रमांक 4 से 9 तक। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 9 से 1 तक संरक्षित वनखण्ड देवरा-अ की सीमा।
2				151/1	8.983	
3				150	9.105	
4				148	9.105	
				योग:-	41.640	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 41.640 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र./0020/अ-20(1) भूमि-आवंटन/नजूल/2023-24 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला-छतरपुर एवं तहसीलदार, तहसील सटई, जिला-छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 18th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Sukwaha-A** N 24° 34' 5.330" E 79° 44' 31.933" to N 24° 34' 33.255 E 79° 44' 9.754" North Latitude N 24° 34' 6.988" E 79° 44' 44.407" to N 24° 34' 12.115 E 79° 44' 7.651" East Longitude.

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Tahsil- Satai

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range - Kishangarh Buffer

S. No	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included			Description of Boundaries	
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.		Area (Hectares)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sukwaha-A	Sukwaha	M.P. Govt. Forest Department	123	14.447	North - Pillar No. 1 to 2. East - From Pillar No. 2 and from the Nala situated in the boundary of protected forest block Palkonha to Pillar No. 3 and Pillar No. 3 to 6. South - From Pillar No. 6 to 7 and Pillar No. 4 and Pillar No. 4 to 9. West - Boundary of forest block Deora-A from Pillar No. 9 to 1.
2				151/1	8.983	
3				150	9.105	
4				148	9.105	
				Total:-	41.640	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 41.640 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0020/अ-20(1)/भूमि-आवंटन/नजूल/2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Chhatarpur for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Bijawar and Tehsildar Satai District Chhatarpur are as under:-

1. **Individual Rights** - There are no Individual rights on the said land .

2. **Community Rights** - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड सुकवाहा-बी N 24° 34' 47.625" E 79° 44' 45.637" से N 24° 34' 48.818 E 79° 44' 57.467" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 34' 38.560" E 79° 44' 57.240" से N 24° 34' 37.145 E 79° 44' 45.213" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -सटई

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सुकवाहा-बी	सुकवाहा		128	9.105	उत्तर - मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक संरक्षित वनखण्ड पलकोंहा की सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 2 से 3 तक। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 4 से 1 तक संरक्षित वनखण्ड पलकोंहा की सीमा।
				योग:-	9.105	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.105 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /0020/अ-20(1) भूमि-आवंटन/नजूल/2023-24 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला-छतरपुर एवं तहसीलदार, तहसील सटई, जिला-छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 18th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Sukwaha-B** N 24° 34' 47.625" E 79° 44' 45.637" to N 24° 34' 48.818 E 79° 44' 57.467" North Latitude N 24° 34' 38.560" E 79° 44' 57.240" to N 24° 34' 37.145 E 79° 44' 45.213" East Longitude.

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Tahsil- Satai

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range - Kishangarh Buffer

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sukwaha-B	Sukwaha	M.P. Govt. Forest Department	128	9.105	North - Boundary of protected forest block Palkonha From Pillar No. 1 to 2. East- Pillar No. 2 to 3. South - Pillar No. 3 to 4. West - Boundary of protected forest block Palkonha Pillar No. 4 to 1.
				Total	9.105	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 9.105 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0020/अ-20(1)/भूमि-आवंटन/नजूल/2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Chhatarpur for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Bijawar and Tehsildar Satai District Chhatarpur are as under:-

- Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
- Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्रमांक/ FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड पाठापुर N 24° 32' 14.072" E 79° 47' 46.106" से N 24° 30' 42.292 E 79° 49' 26.292" उत्तर अक्षांश तथा 24° 30' 18.165 E 79° 50' 17.405" से N 24° 29' 59.542 E 79° 49' 37.445" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -बिजावर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	पाठापुर	पाठापुर	म.प्र. शासन वन विभाग	5/1	0.971	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड नैगुवा-स के मुनारा क्रमांक 71 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 6 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 6 से 7 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा। दक्षिण- मुनारा क्र 7 से 15 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से संरक्षित वनखण्ड नैगुवा-स के मुनारा क्रमांक 76 तक तथा संरक्षित वनखण्ड नैगुवा-स के मुनारा क्रमांक 76 से 71 तक।
2				25/2	0.084	
3				5/2	0.061	
4				138/1	0.081	
5				139/1	0.131	
6				331	0.388	
7				339	0.081	
8				345	0.182	
9				389	0.061	
10				392	0.129	
11				398/1	0.729	
12				8/1	0.344	
13				88/1	0.595	
14				175	0.405	
15				250/1	0.089	
16				299	0.247	
17				12	0.526	
18				13	0.924	
19				14	0.219	
20				18	0.821	
21				19	0.866	
22				25/1	0.300	
23				30	0.154	
24				31	0.598	

25			33	1.295
26			35	0.486
27			45/2	0.121
28			61/5	0.567
29			169	0.020
30			170	0.093
31			176	0.146
32			190	0.231
33			250/4	0.454
34			251/1	0.327
35			293	0.287
36			296	0.028
37			45/3	0.413
38			142	0.028
39			143	0.636
40			144	0.032
41			183	0.085
42			184	0.073
43			186	0.012
44			205	0.150
45			208	0.526
46			221/3	0.437
47			235/2	0.243
48			250/2	0.304
49			261/2	0.202
50			276	0.170
51			281/2	0.202
52			46	0.723
53			51/1/2	0.501
54			52	0.894
55			116	0.008
56			272	0.117
57			275	0.182
58			320	0.138
59			344	0.069
60			380/5	0.202
61			194	0.117
62			284	0.214
63			285	0.028
64			286	0.016
65			287	0.057
66			294	0.227
67			403/2	0.202

68				405/2	0.131
69				61/2	0.405
70				111/2	0.023
71				112/2	0.243
72				113/2	0.081
73				133	0.194
74				218	0.405
75				298	0.028
76				246/5/1	0.809
77				68	0.470
78				221/2	0.709
79				266/1	0.101
80				266/2	0.259
81				397/2	0.158
82				80	0.372
83				82	0.437
84				69/2	0.142
85				69/3	0.809
86				145	0.206
87				146	0.393
88				154	0.170
89				267/1	0.809
90				70/1	0.421
91				70/2	0.259
92				74	0.502
93				76	0.563
94				77	0.372
95				78	0.061
96				79/1	0.474
97				158	0.296
98				280	0.162
99				71/1	0.146
100				71/2	0.069
101				230/2	0.121
102				230/5/2	0.162
103				384/5	0.190
104				404	0.170
105				83	0.332
106				84/2	0.324
107				89	0.441
108				90	0.384
109				92	1.250
110				93	0.162

111			94	0.361
112			132	0.299
113			134	0.057
114			136	0.125
115			195	0.085
116			221/1	0.445
117			98	0.251
118			99	0.024
119			100	0.651
120			126	0.384
121			193	0.227
122			316	0.049
123			322	0.223
124			105	0.372
125			106	0.437
126			107/1	0.611
127			107/2	0.324
128			108	0.162
129			157	0.233
130			220	0.380
131			256/1	0.162
132			318	0.016
133			319	0.247
134			420	0.045
135			421/2	0.243
136			110/2	1.500
137			110/3	1.500
138			113/1	0.656
139			115	0.073
140			119	0.032
141			120	0.210
142			121	0.028
143			128	0.316
144			153	0.174
145			214	0.040
146			215/1	0.312
147			215/2	0.049
148			262	0.028
149			273	0.073
150			274	0.016
151			117	0.049
152			130	0.125
153			138/2	0.081

154			139/2	0.109
155			219	0.214
156			281/1	0.174
157			317	0.125
158			321	0.117
159			118	0.757
160			124	0.045
161			127	0.121
162			129	0.198
163			161	0.069
164			166	0.125
165			188	0.024
166			192	0.494
167			197	0.198
168			198	0.040
169			199	0.028
170			200	0.146
171			201	0.057
172			206	0.093
173			234	0.239
174			140	0.142
175			305	0.764
176			307	0.020
177			141	0.267
178			147	0.105
179			340	0.692
180			346	0.263
181			347	0.085
182			349/2	1.440
183			380/6	0.304
184			380/7	0.101
185			388	0.028
186			401/2	0.469
187			149	0.741
188			163	0.036
189			165	0.133
190			167	0.134
191			217	0.336
192			150	0.085
193			151	0.162
194			164	0.267
195			226/2	0.324
196			155	0.166

197			156	0.024
198			180	0.190
199			222/1	0.263
200			227/1	0.445
201			237	0.380
202			238	0.227
203			239/1	0.223
204			241/2/1	0.304
205			278	1.036
206			159	0.105
207			185	0.008
208			213	0.069
209			282	0.138
210			424	0.166
211			425	0.121
212			160	0.109
213			172	0.016
214			196	0.170
215			216	0.316
216			173	0.134
217			300	0.028
218			301	0.077
219			390	0.320
220			393/4	0.065
221			397/1	0.146
222			401/4	0.129
223			174	0.045
224			182	0.170
225			191	0.368
226			212	0.454
227			308	0.049
228			310	0.008
229			311	0.073
230			326	0.175
231			327	0.016
232			330	0.093
233			380/8	0.607
234			384/2	0.511
235			384/9	0.445

236			223/1	0.817
237			224	0.490
238			226/1	0.789
239			227/2	0.607
240			230/3	0.486
241			230/6	0.405
242			230/5/1	0.162
243			239/2	0.073
244			240/2	0.040
245			241/6	0.749
246			261/1	0.186
247			241/1/2	0.448
248			241/1/3	1.800
249			241/1/4	1.772
250			241/1/5	1.600
251			246/1	0.849
252			246/4	0.101
253			256/2	0.077
254			258	0.045
255			259	0.178
256			260/2	0.069
257			261/3	0.186
258			304	0.579
259			349/3	0.312
260			401/5	0.324
261			426/3	0.065
262			289	0.077
263			333	0.061
264			291/1	0.429
265			410	0.211
266			291/2	0.105
267			309	0.478
268			312	0.024
269			314	0.032
270			313	0.012
271			315	0.028
272			328	0.324

273			334	0.073
274			329	0.073
275			385	0.405
276			386	0.032
277			387	0.061
278			391/3	0.251
279			395	0.121
280			399	0.013
281			401/3	0.324
282			422	0.275
283			336	0.073
284			391/1	0.506
285			3911/1	0.506
286			349/4	0.567
287			402	0.583
288			384/3	1.093
289			1	2.106
290			11	1.679
291			111	0.100
292			15	1.010
293			16	0.200
294			24	0.150
295			243	0.554
296			349	0.866
297			37	0.040
298			38	0.093
299			39	0.117
300			401	1.383
301			409	0.324
302			411	0.729
303			43	0.160
304			438	1.074
305			439	0.040
306			45	0.069
307			53	0.100
308			64	0.160
309			95	0.931

310			101	0.291
311			102	0.275
312			103	0.340
313			104	0.231
314			107 / 3	0.235
315			109	0.210
316			110 / 1	0.460
317			122	0.040
318			123	0.012
319			125	0.040
320			131	0.032
321			135	0.069
322			137	0.028
323			152	0.045
324			162	0.061
325			168	0.065
326			17	0.012
327			171	0.008
328			177	0.024
329			178	0.154
330			179	0.154
331			181	0.008
332			187	0.012
333			189	0.045
334			2	0.902
335			20	0.094
336			202	0.081
337			203	0.120
338			204	0.006
339			207	0.008
340			209	0.012
341			21	0.013
342			210	0.081
343			211 / 3	0.073
344			22	0.031
345			23	0.008
346			233 / 1	0.031
347			233 / 2	0.227
348			235 / 1	0.840

349			236 / 2	0.146
350			236 / 3	0.607
351			236 / 4	0.202
352			236 / 5	0.101
353			240 / 1	0.040
354			248	0.219
355			249	0.016
356			250 / 3	0.461
357			251 / 2	0.405
358			252	0.210
359			253	0.069
360			254	0.543
361			255	0.032
362			257 / 1	0.081
363			257 / 2	0.024
364			260 / 1	0.227
365			261 / 4	0.348
366			264	0.053
367			265 / 1	0.506
368			265 / 3	0.125
369			267 / 2	0.129
370			268	0.016
371			269	0.085
372			270	0.049
373			271	0.012
374			277	0.093
375			283	0.174
376			288	0.356
377			290 / 1	0.287
378			290 / 2	0.231
379			295	0.061
380			297	0.020
381			3	0.040
382			302	0.008
383			303	0.142
384			332	0.020
385			335	0.159
386			34	0.045
387			341	0.032

388			348	0.121
389			36	0.069
390			391 / 2	0.061
391			391 / 4	0.202
392			393 / 1	0.336
393			393 / 2	0.040
394			393 / 3	0.405
395			394	0.085
396			396	0.065
397			398 / 2	0.065
398			4	0.154
399			400 / 1	0.227
400			400 / 2	0.324
401			400 / 3	0.243
402			41	0.947
403			414	0.641
404			415	0.045
405			416	0.020
406			417	0.695
407			418 / 1	2.667
408			418 / 2	0.858
409			419	0.028
410			42	0.170
411			421 / 1	0.393
412			421 / 2	0.324
413			421 / 3	0.971
414			423	0.360
415			426 / 1	0.477
416			426 / 2	0.632
417			427	0.324
418			428	0.380
419			429	0.324
420			428	0.380
421			429	0.324
422			430	0.684
423			431	0.987
424			432	0.255
425			433	0.433
426			434	0.388

427			435	0.135
428			436	1.096
429			437	0.129
430			47	0.057
431			48	0.032
432			49	0.125
433			51/3	0.121
434			86/1	0.251
435			86/2	0.243
436			87	0.012
437			88/2	0.146
438			88/3	0.057
439			91	0.304
440			96	0.425
441			97	0.057
			कुल योग:-	127.676

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 127.676 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0029/अ-20(3) वर्ष 2022-2023 दिनांक 20.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0013/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, तहसील बिजावर, जिला-छतरपुर का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 18th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Pathapur** N 24° 32' 14.072" E 79° 47' 46.106" to N 24° 30' 42.292 E 79° 49' 26.292" North Latitude 24° 30' 18.165 E 79° 50' 17.405" to N 24° 29' 59.542 E 79° 49' 37.445" East Longitude.

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Tahsil- Bijawar

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range - Kishangarh Buffer

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pathapur	Pathapur	M.P. Govt. Forest Department	5/1	0.971	North- Boundary of protected forest block Kishangarh From Pillar No. 71 of protected forest block Naguwa-C to Pillar No. 1 to 6 of proposed forest block. East- Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 6 to 7. South- Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 7 to 15. West - Pillar No. 15 of proposed forest block to Pillar No. 76 of protected forest block Naguwa-C and Pillar No. 76 to 71 of protected forest block Naguwa.
2				25/2	0.084	
3				5/2	0.061	
4				138/1	0.081	
5				139/1	0.131	
6				331	0.388	
7				339	0.081	
8				345	0.182	
9				389	0.061	
10				392	0.129	
11				398/1	0.729	
12				8/1	0.344	
13				88/1	0.595	
14				175	0.405	
15				250/1	0.089	
16				299	0.247	
17				12	0.526	
18				13	0.924	
19				14	0.219	
20				18	0.821	
21				19	0.866	
22				25/1	0.300	
23				30	0.154	
24				31	0.598	
25				33	1.295	
26				35	0.486	
27				45/2	0.121	
28				61/5	0.567	
29				169	0.020	

30			170	0.093
31			176	0.146
32			190	0.231
33			250/4	0.454
34			251/1	0.327
35			293	0.287
36			296	0.028
37			45/3	0.413
38			142	0.028
39			143	0.636
40			144	0.032
41			183	0.085
42			184	0.073
43			186	0.012
44			205	0.150
45			208	0.526
46			221/3	0.437
47			235/2	0.243
48			250/2	0.304
49			261/2	0.202
50			276	0.170
51			281/2	0.202
52			46	0.723
53			51/1/2	0.501
54			52	0.894
55			116	0.008
56			272	0.117
57			275	0.182
58			320	0.138
59			344	0.069
60			380/5	0.202
61			194	0.117
62			284	0.214
63			285	0.028
64			286	0.016
65			287	0.057
66			294	0.227
67			403/2	0.202
68			405/2	0.131
69			61/2	0.405
70			111/2	0.023
71			112/2	0.243
72			113/2	0.081
73			133	0.194
74			218	0.405
75			298	0.028
76			246/5/1	0.809

77				68	0.470
78				221/2	0.709
79				266/1	0.101
80				266/2	0.259
81				397/2	0.158
82				80	0.372
83				82	0.437
84				69/2	0.142
85				69/3	0.809
86				145	0.206
87				146	0.393
88				154	0.170
89				267/1	0.809
90				70/1	0.421
91				70/2	0.259
92				74	0.502
93				76	0.563
94				77	0.372
95				78	0.061
96				79/1	0.474
97				158	0.296
98				280	0.162
99				71/1	0.146
100				71/2	0.069
101				230/2	0.121
102				230/5/2	0.162
103				384/5	0.190
104				404	0.170
105				83	0.332
106				84/2	0.324
107				89	0.441
108				90	0.384
109				92	1.250
110				93	0.162
111				94	0.361
112				132	0.299
113				134	0.057
114				136	0.125
115				195	0.085
116				221/1	0.445
117				98	0.251
118				99	0.024
119				100	0.651
120				126	0.384
121				193	0.227
122				316	0.049
123				322	0.223

124			105	0.372
125			106	0.437
126			107/1	0.611
127			107/2	0.324
128			108	0.162
129			157	0.233
130			220	0.380
131			256/1	0.162
132			318	0.016
133			319	0.247
134			420	0.045
135			421/2	0.243
136			110/2	1.500
137			110/3	1.500
138			113/1	0.656
139			115	0.073
140			119	0.032
141			120	0.210
142			121	0.028
143			128	0.316
144			153	0.174
145			214	0.040
146			215/1	0.312
147			215/2	0.049
148			262	0.028
149			273	0.073
150			274	0.016
151			117	0.049
152			130	0.125
153			138/2	0.081
154			139/2	0.109
155			219	0.214
156			281/1.	0.174
157			317	0.125
158			321	0.117
159			118	0.757
160			124	0.045
161			127	0.121
162			129	0.198
163			161	0.069
164			166	0.125
165			188	0.024
166			192	0.494
167			197	0.198
168			198	0.040
169			199	0.028
170			200	0.146

171				201	0.057
172				206	0.093
173				234	0.239
174				140	0.142
175				305	0.764
176				307	0.020
177				141	0.267
178				147	0.105
179				340	0.692
180				346	0.263
181				347	0.085
182				349/2	1.440
183				380/6	0.304
184				380/7	0.101
185				388	0.028
186				401/2	0.469
187				149	0.741
188				163	0.036
189				165	0.133
190				167	0.134
191				217	0.336
192				150	0.085
193				151	0.162
194				164	0.267
195				226/2	0.324
196				155	0.166
197				156	0.024
198				180	0.190
199				222/1	0.263
200				227/1	0.445
201				237	0.380
202				238	0.227
203				239/1	0.223
204				241/2/1	0.304
205				278	1.036
206				159	0.105
207				185	0.008
208				213	0.069
209				282	0.138
210				424	0.166
211				425	0.121
212				160	0.109
213				172	0.016
214				196	0.170
215				216	0.316
216				173	0.134
217				300	0.028

218				301	0.077
219				390	0.320
220				393/4	0.065
221				397/1	0.146
222				401/4	0.129
223				174	0.045
224				182	0.170
225				191	0.368
226				212	0.454
227				308	0.049
228				310	0.008
229				311	0.073
230				326	0.175
231				327	0.016
232				330	0.093
233				380/8	0.607
234				384/2	0.511
235				384/9	0.445
236				223/1	0.817
237				224	0.490
238				226/1	0.789
239				227/2	0.607
240				230/3	0.486
241				230/6	0.405
242				230/5/1	0.162
243				239/2	0.073
244				240/2	0.040
245				241/6	0.749
246				261/1	0.186
247				241/1/2	0.448
248				241/1/3	1.800
249				241/1/4	1.772
250				241/1/5	1.600
251				246/1	0.849
252				246/4	0.101
253				256/2	0.077
254				258	0.045
255				259	0.178
256				260/2	0.069
257				261/3	0.186
258				304	0.579
259				349/3	0.312
260				401/5	0.324
261				426/3	0.065
262				289	0.077
263				333	0.061
264				291/1	0.429

265			410	0.211
266			291/2	0.105
267			309	0.478
268			312	0.024
269			314	0.032
270			313	0.012
271			315	0.028
272			328	0.324
273			334	0.073
274			329	0.073
275			385	0.405
276			386	0.032
277			387	0.061
278			391/3	0.251
279			395	0.121
280			399	0.013
281			401/3	0.324
282			422	0.275
283			336	0.073
284			391/1	0.506
285			3911/1	0.506
286			349/4	0.567
287			402	0.583
288			384/3	1.093
289			1	2.106
290			11	1.679
291			111	0.100
292			15	1.010
293			16	0.200
294			24	0.150
295			243	0.554
296			349	0.866
297			37	0.040
298			38	0.093
299			39	0.117
300			401	1.383
301			409	0.324
302			411	0.729
303			43	0.160
304			438	1.074
305			439	0.040
306			45	0.069

307				53	0.100
308				64	0.160
309				95	0.931
310				101	0.291
311				102	0.275
312				103	0.340
313				104	0.231
314				107 / 3	0.235
315				109	0.210
316				110 / 1	0.460
317				122	0.040
318				123	0.012
319				125	0.040
320				131	0.032
321				135	0.069
322				137	0.028
323				152	0.045
324				162	0.061
325				168	0.065
326				17	0.012
327				171	0.008
328				177	0.024
329				178	0.154
330				179	0.154
331				181	0.008
332				187	0.012
333				189	0.045
334				2	0.902
335				20	0.094
336				202	0.081
337				203	0.120
338				204	0.006
339				207	0.008
340				209	0.012
341				21	0.013
342				210	0.081
343				211 / 3	0.073
344				22	0.031

345			23	0.008
346			233 / 1	0.031
347			233 / 2	0.227
348			235 / 1	0.840
349			236 / 2	0.146
350			236 / 3	0.607
351			236 / 4	0.202
352			236 / 5	0.101
353			240 / 1	0.040
354			248	0.219
355			249	0.016
356			250 / 3	0.461
357			251 / 2	0.405
358			252	0.210
359			253	0.069
360			254	0.543
361			255	0.032
362			257 / 1	0.081
363			257 / 2	0.024
364			260 / 1	0.227
365			261 / 4	0.348
366			264	0.053
367			265 / 1	0.506
368			265 / 3	0.125
369			267 / 2	0.129
370			268	0.016
371			269	0.085
372			270	0.049
373			271	0.012
374			277	0.093
375			283	0.174
376			288	0.356
377			290 / 1	0.287
378			290 / 2	0.231
379			295	0.061
380			297	0.020
381			3	0.040
382			302	0.008

383			303	0.142
384			332	0.020
385			335	0.159
386			34	0.045
387			341	0.032
388			348	0.121
389			36	0.069
390			391/2	0.061
391			391/4	0.202
392			393/1	0.336
393			393/2	0.040
394			393/3	0.405
395			394	0.085
396			396	0.065
397			398/2	0.065
398			4	0.154
399			400/1	0.227
400			400/2	0.324
401			400/3	0.243
402			41	0.947
403			414	0.641
404			415	0.045
405			416	0.020
406			417	0.695
407			418/1	2.667
408			418/2	0.858
409			419	0.028
410			42	0.170
411			421/1	0.393
412			421/2	0.324
413			421/3	0.971
414			423	0.360
415			426/1	0.477
416			426/2	0.632
417			427	0.324
418			428	0.380
419			429	0.324
420			428	0.380

421				429	0.324
422				430	0.684
423				431	0.987
424				432	0.255
425				433	0.433
426				434	0.388
427				435	0.135
428				436	1.096
429				437	0.129
430				47	0.057
431				48	0.032
432				49	0.125
433				51 / 3	0.121
434				86 / 1	0.251
435				86 / 2	0.243
436				87	0.012
437				88 / 2	0.146
438				88 / 3	0.057
439				91	0.304
440				96	0.425
441				97	0.057
				Grand Total :-	127.676

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 9.105 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0029/अ-20(1) वर्ष 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub-Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Bijawar and District Chhatarpur, case number/0013/अ-82/2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation. for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड घोघरा अ 24°22'15.01"N से 24°22'48.95"N उत्तर अक्षांश तथा 79°36'18.14"E से 79°36'49.44"E पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - दमोह

तहसील - हटा

वनमण्डल - पन्ना टाईगर रिजर्व

वन परिक्षेत्र - मडियादो

क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं	
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मै.)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	घोघरा अ	घोघरा	म.प्र. शासन वन विभाग	1	6.40	उत्तर-	मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक
						पूर्व -	मुनारा क्रमांक 5 से 8 तक
						दक्षिण-	मुनारा क्रमांक 8 से 11 तक
						पश्चिम-	मुनारा क्रमांक 11 से 13 एवं 1 तक
				योग-	6.40		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./15 अ/20(3) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला-दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 19th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block **Ghoghra-A** lies between **24°22'15.01"N to 24°22'48.95"N** North Latitude and **79°36'18.14"E to 79°36'49.44"E** East Longitude.

SCHEDULE

District – Damoh

Forest Division –Panna Tiger Reserve

Tehsil. – Hatta

Forest Range –Madiyado

NO	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ghoghra A	Ghoghra	M.P.Govt. Forest department	1	6.40	North-	Pillar No. 1 to 5
						East-	Pillar No. 5 to 8
						South-	Pillar No. 8 to 11
						West-	Pillar No. 11 to 13
				Total-	6.40		

(A) Reason for publication of Notification:-

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 6.40 hectare transferred/mutated in favour of Forest Department order No. 15/अ-20(3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Resaons - Non-forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar-Hatta District Damoh are as under:-

- Individuals of Rights -** There are no individual rights on the said land.
- Communities of Rights -** There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड घोघरा ब 24°22'48.75"N से 24°20'44.21"N उत्तर अक्षांश तथा 79°36'18.77"E से 79°38'20.56"E पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - दमोह

तहसील - हटा

वनमण्डल - पन्ना टाईगर रिजर्व

वन परिक्षेत्र - मडियादो

क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं	
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में.)		
1	2	3	4	5		7	
	घोघरा ब	घोघरा	म.प्र. शासन वन विभाग	103 315 316 317 318 319	30.00 2.15 0.85 2.80 1.75 81.95	उत्तर- पूर्व - दक्षिण- पश्चिम-	मुनारा क्रमांक 14 से 16 तक मुनारा क्रमांक 16 से 24 तक मुनारा क्रमांक 24 से 27 तक मुनारा क्रमांक 27 से 58 एवं 14 तक
					119.5		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 119.5 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क./15 अ/20(3) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।
 - अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि (ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला-दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं -
 - व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
 - सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।
- अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 19th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block **Ghoghra-B** lies between **24°22'48.75"N to 24°20'44.21"N** North Latitude and **79°36'18.77" E to 79°38'20.56"E** East Longitude.

SCHEDULE

District – Damoh

Forest Division –Panna Tiger Reserve

Tehsil. – Hatta

Forest Range – Madiyado

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ghoghra B	Ghoghra	M.P.Govt. Forest department	103 315 316 317 318 319	30.00 2.15 0.85 2.80 1.75 81.95	North-	Pillar number 14 to 16
						East-	Pillar number 16 to to 24
						South-	Pillar No.24 to 27
						West-	Pillar No.27 to 58 and 14
				Total-	119.5		

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 119.5 hectare transferred/mutated in favour of Forest Department order No. 15/अ-20(3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Resaons - Non-forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar-Hatta District Damoh are as under:-

1. **Individuals of Rights -** There are no individual rights on the said land.
2. **Communities of Rights -** There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्रमांक/ FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड अमझिर-अ 24°17'7.21"N से 24°17'50.95"N उत्तर अक्षांश तथा 79°35'25.48"E से 79°34'29.09"E पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - दमोह तहसील - हटा
वनमण्डल - पन्ना टाईगर रिजर्व वन परिक्षेत्र - मडियादो

क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.) में	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अमझिर अ	अमझिर	म.प्र. शासन वन विभाग	67 68 69 70 71 72	20.35 50.00 0.32 0.17 0.34 1.45	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 91 से 93 तक तथा मुनारा क्रमांक 51 से 52 तक आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा। पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 52 से 54 तक आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा। प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 54 से 64 तक। दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 64 से 87 तक पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 87 से 91 तक
				योग-	72.63	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 72.63 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./19 अ/20(3) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।
 - अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।
- (ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला-दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं -
- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
 - सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।
- अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 19th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block **Amajhir-A** lies between 24°17'7.21"N to 24°17'50.95"N North Latitude and 79°35'25.48"E to 79°34'29.09"E East Longitude.

SCHEDULE

District – Damoh

Forest Division –Panna Tiger Reserve

Tehsil. – Hatta

Forest Range – Madiyado

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
	Amajhir A	Amajhir	M.P.Govt. Forest department	67 68 69 70 71 72	20.35 50.00 0.32 0.17 0.34 1.45	North-	Boundary of reserved forest block Bhurkhura from Pillar No. 91 to 93 and Pillar No. 51 to 52 of proposed forest Block.
						East-	Boundary of reserved forest Block Bhurkhura from Pillar No. 52 to 54 of proposed forest block. Pillar No. 54 to 64 of proposed forest Block.
						South-	Pillar No. 64 to 87 of proposed forest Block.
						West-	Pillar No. 87 to 91 of proposed forest Block.
				Total-	72.63		

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 72.63 hectare transferred/mutated in favour of Forest Department order No. 19/अ-20(3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Resaons - Non-forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under:-

3. **Individuals of Rights -** There are no individual rights on the said land.
4. **Communities of Rights -** There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड अमझिर-ब 24°17'12.72"N से 24°17'43.66"N उत्तर अक्षांश तथा 79°34'23.05"E से 79°33'30.76"E पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - दमोह तहसील - हटा
वनमण्डल - पन्ना टाईगर रिजर्व वन परिक्षेत्र - मडियादो

क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं	
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में.)		
1	अमझिर ब	अमझिर	म.प्र. शासन वन विभाग	14	79.00	उत्तर-	प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 6 तक आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा।
						पूर्व -	प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 19 तक
						दक्षिण-	प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से 27 तक
						पश्चिम-	प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 27 से 38 एवं 1 तक
						वनखण्ड के भीतर स्थित खसरा क्रमांक 12 एवं 13 को छोड़कर जिसकी सीमाएं निम्नानुसार है:-	
						1. खसरा क्रमांक 13 की सीमाएं	
						उत्तर-	मुनारा क्रमांक 39 से 41 तक।
						पूर्व -	मुनारा क्रमांक 41 से 42 तक।
						दक्षिण-	मुनारा क्रमांक 42 से 44 तक।
						पश्चिम-	मुनारा क्रमांक 44 से 39 तक।
						2. खसरा क्रमांक 12 की सीमाएं	
						उत्तर-	मुनारा क्रमांक 45 से 47 तक।
						पूर्व -	मुनारा क्रमांक 47 से 48 तक।
						दक्षिण-	मुनारा क्रमांक 48 से 50 तक।
						पश्चिम-	मुनारा क्रमांक 50 से 45 तक।
				योग-	79.00		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 79.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./19 अ/20(3) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला-दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं -

- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 19th April 2024

No.FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block **Amajhir-B** lies between 24°17'12.72"N to 24°17'43.66"N North Latitude and 79°34'23.05"E to 79°33'30.76"E East Longitude.

SCHEDULE

District – Damoh

Forest Division –Panna Tiger Reserve

Tehsil. – Hatta

Forest Range – Madiyado

NO	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
	Amajhir B	Amajhir	M.P.Govt. Forest Department	14	79.00	North-	Boundary of reserved forest Bhurkhura from Pillar No. 1 to 6 of proposed forest Block.
						East-	Pillar No. 6 to 19 of proposed forest Block.
						South-	Pillar No. 19 to 27 of proposed forest Block.
						West-	Pillar No. 27 to 38 and 1 of proposed forest Block.
						Excluding the Khasra number 12 and 13 situated inside the Block.	
						1. Boundary of khasra No. 13	
						North-	Pillar No. 39 to 41.
						East-	Pillar No. 41 to 42.
						South-	Pillar No. 42 to 44.
						West-	Pillar No. 44 to 39.
						2. Boundary of khasra No. 12	
						North-	Pillar No. 45 to 47.
						East-	Pillar No. 47 to 48.
						South-	Pillar No. 48 to 50.
						West-	Pillar No. 50 to 45.
				Total-	79.00		

(A) Reason for publication of Notification:-

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 79.00 hectare transferred/mutated in favour of Forest Department order No. 19/अ-20(3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Resaons - Non-forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under:-

- Individuals of Rights -** There are no individual rights on the said land.
- Communities of Rights -** There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) : भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/सम्बंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड डोंडी-अ N 24° 31' 52.541" E 79° 54' 42.985" से N 24° 32' 15.417 E 79° 55' 1.201" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31' 55.661" E 79° 54' 35.698" से N 24° 32' 3.830 E 79° 55' 3.381" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- पन्ना

तहसील -पन्ना

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -अमानगंज बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	डोंडी-अ	डोंडी	म.प्र. शासन वन विभाग	2	18.390	उत्तर - मुनारा क्रमांक 2 से 8 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा। पूर्व- मुनारा क्रमांक 8 से 11 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 11 से 20 तक संरक्षित वनखण्ड अमानगंज की सीमा। मुनारा क्रमांक 20 से 26 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 26 से 1 एवं 2 तक आरक्षित वनखण्ड बडौर की सीमा।
2				3	0.520	
3				4	0.150	
4				5	0.110	
5				6	0.480	
6				7/1	0.540	
7				7/2	0.210	
8				8	0.020	
9				9	0.620	
10				10	0.500	
11				11	1.500	
12				12	0.070	
13				13	0.230	
14				14	0.470	
15				15	0.550	
16				16	0.570	
17				17	0.060	

18				18	0.430	
19				19	0.330	
20				20	0.160	
21				22	0.300	
22				23	0.450	
23				24	0.400	
24				25	0.150	
25				26	0.270	
26				27	0.100	
27				28	0.110	
28				29	0.240	
29				30	0.170	
30				31	0.660	
31				32	0.530	
32				33	0.380	
33				34	0.930	
34				35	0.410	
35				36	0.280	
36				37	0.150	
37				38	0.080	
38				39	0.070	
39				40	0.050	
40				41	0.100	
41				42	0.150	
42				43/1	0.820	
43				43/2	1.030	
44				45	0.290	
45				46/1	0.930	
46				46/2	0.910	
47				47	0.420	
48				48	0.200	
49				49	1.160	
50				51/1	1.290	
51				51/2	0.160	

52				52	0.200
53				53	0.350
54				54	2.000
55				55	2.627
				कुल योग:-	44.277

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 44.277 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0067/अ-20(3) वर्ष 2022-2023 दिनांक 30.03.2024 तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना के आदेश प्रकरण क्रमांक 0010/अ-82/2022-23 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील पन्ना, जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 19th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Dondi-A** N 24° 31' 52.541" E 79° 54' 42.985" to N 24° 32' 15.417" E 79° 55' 1.201" North Latitude and N 24° 31' 55.661" E 79° 54' 35.698" to N 24° 32' 3.830 E 79° 55' 3.381" East Longitude.

SCHEDULE**District- Panna****Tahsil- Panna****Forest Division - Panna Tiger Reserve****Forest Range -Amanganj Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dondi-A	Dondi	M.P. Govt. Forest Department	2	18.390	North- Boundary of reserved forest block Pipartola Badaur from Pillar No. 2 to 8. East - Boundary of reserved forest block Pipartola Badaur from Pillar No. 8 to 11. South - Boundary of protected forest Block Amanganj from Pillar No. 11 to 20. Boundary of reserved forest Block Pipartola Badaur from pillar No. 20 to 26. West - Boundary of reserved forest Block Pipartola Badaur from Pillar No. 26 to 1 and 2.
2				3	0.520	
3				4	0.150	
4				5	0.110	
5				6	0.480	
6				7/1	0.540	
7				7/2,	0.210	
8				8	0.020	
9				9	0.620	
10				10	0.500	
11				11	1.500	
12				12	0.070	
13				13	0.230	
14				14	0.470	
15				15	0.550	

16			16	0.570
17			17	0.060
18			18	0.430
19			19	0.330
20			20	0.160
21			22	0.300
22			23	0.450
23			24	0.400
24			25	0.150
25			26	0.270
26			27	0.100
27			28	0.110
28			29	0.240
29			30	0.170
30			31	0.660
31			32	0.530
32			33	0.380
33			34	0.930
34			35	0.410
35			36	0.280
36			37	0.150
37			38	0.080
38			39	0.070
39			40	0.050
40			41	0.100
41			42	0.150
42			43/1	0.820
43			43/2	1.030
44			45	0.290
45			46/1	0.930
46			46/2	0.910
47			47	0.420
48			48	0.200
49			49	1.160
50			51/1	1.290
51			51/2	0.160
52			52	0.200
53			53	0.350
54			54	2.000
55			55	2.627
			Total:-	44.277

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 44.277 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0067 /अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 30.03.2024 of Collector Panna and Order of Sub-Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Panna and District Panna, case number/0010/अ-82/2022-23 dated 15.03.2024 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Scc-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड डोंडी-ब N 24° 32' 4.174" E 79° 55' 6.870" से N 24° 32' 26.302 E 79° 55' 18.187" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 32' 4.174" E 79° 55' 6.870" से N 24° 32' 16.517 E 79° 55' 28.907" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- पन्ना

तहसील -पन्ना

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -अमानगंज बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	डोंडी-ब	डोंडी	म.प्र. शासन वन विभाग	56	1.400	उत्तर - मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा।
2				57	0.630	पूर्व- मुनारा क्रमांक 3 से 11 तक संरक्षित वनखण्ड मझौली की सीमा।
3				58	0.880	
4				59	0.300	दक्षिण - मुनारा क्रमांक 11 से 14 तक संरक्षित वनखण्ड अमानगंज की सीमा।
5				60	0.820	
6				61	0.330	पश्चिम - मुनारा क्र. 14 से 15 एवं 1 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा।
7				62	0.820	
8				63	0.350	
9				64	0.650	
10				65	0.510	
11				66/1	0.400	
12				66/2	0.330	
13				66/3	0.020	
14				67	0.380	
15				68	0.050	
16				69	0.180	
17				70	0.050	
18				71	0.590	
19				72	0.070	

20				73	0.010
21				74	0.260
22				75	1.630
23				76	0.890
24				77	0.790
25				78	0.010
26				79	0.230
27				80	0.550
28				81	0.660
29				82/1	0.460
30				82/2	0.480
31				83	0.610
32				84	1.400
33				85	0.580
34				86	2.650
35				87	0.710
36				88	0.200
37				89	1.070
38				90	0.940
39				91	0.410
40				92	0.090
41				93	0.350
42				94	0.860
43				95/1	0.180
44				95/2	0.760
45				96	0.340
46				97	0.020
47				98	0.500
48				99	0.040
49				100	0.160
50				101	0.360
51				102	0.040
52				103	0.830
53				104	0.340
54				105	0.150

55				106	0.350
56				107/1,	0.270
57				107/2,	0.100
58				108	0.450
59				109	0.700
60				110	0.170
61				111	1.130
62				112	0.070
63				113	0.660
64				114	0.750
				कुल योग-	32.970

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 32.970 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0067/अ-20(3) वर्ष 2022-2023 दिनांक 30.03.2024 तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना के आदेश प्रकरण क्रमांक 0010/अ-82/2022-23 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील पन्ना, जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 19th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Dondi-B** N 24° 32' 4.174" E 79° 55' 6.870" Is N 24° 32' 26.302 E 79° 55' 18.187" North Latitude and N 24° 32' 4.174" E 79° 55' 6.870" Is N 24° 32' 16.517 E 79° 55' 28.907" East Longitude.

SCHEDULE

District- Panna

Tahsil- Panna

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range -Amanganj Buffer

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dondi-B	Dondi	M.P. Govt. Forest Department	56	1.400	North- Boundary of reserved forest block Pipartola Badaur from Pillar No. 1 to 3. East - Boundary of protected forest Block Majhouli from Pillar No. 3 to 11. South - Boundary of protected forest Block Amanganj from Pillar No. 11 to 14. West - Boundary of reserved forest Block Pipartola Badaur from Pillar No. 14 to 15 and 1.
2				57	0.630	
3				58	0.880	
4				59	0.300	
5				60	0.820	
6				61	0.330	
7				62	0.820	
8				63	0.350	
9				64	0.650	
10				65	0.510	
11				66/1	0.400	
12				66/2	0.330	
13				66/3	0.020	
14				67	0.380	
15				68	0.050	
16				69	0.180	
17				70	0.050	

18				71	0.590
19				72	0.070
20				73	0.010
21				74	0.260
22				75	1.630
23				76	0.890
24				77	0.790
25				78	0.010
26				79	0.230
27				80	0.550
28				81	0.660
29				82/1	0.460
30				82/2	0.480
31				83	0.610
32				84	1.400
33				85	0.580
34				86	2.650
35				87	0.710
36				88	0.200
37				89	1.070
38				90	0.940
39				91	0.410
40				92	0.090
41				93	0.350
42				94	0.860
43				95/1	0.180
44				95/2	0.760
45				96	0.340
46				97	0.020
47				98	0.500
48				99	0.040
49				100	0.160
50				101	0.360
51				102	0.040
52				103	0.830
53				104	0.340

54				105	0.150
55				106	0.350
56				107/1,	0.270
57				107/2,	0.100
58				108	0.450
59				109	0.700
60				110	0.170
61				111	1.130
62				112	0.070
63				113	0.660
64				114	0.750
				Total:-	32.970

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 32.972 hectare transferred/mutated in favour of Forest Department vide order No 0067/अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 30.03.2024 of Collector Panna and Order of Sub-Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Panna and District Panna, case number/0010/अ-82/2022-23 dated 15.03.2024 for the purpose of compensatory afforestation. for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.